Source StylesFormat

Swami Vivekanand Govt. PG College Harda (M.P.)

AQAR 2022-23

CRITERION -6

Swami Vivekanand Govt. PG College Harda (M.P.)

•AQAR 2022-23
Criterion 6.2.2

S. No.	Name of Supporting Documents	Page No.
1.	Rules of civil services	1-58
2	Rules of jan bhagidari	59-69
3	Ass. Professor exam (MPPSC)	70-95

शासकीय महाविद्यालयों में
जनभागीदारी का प्रारंभ एवं विकास

मध्यप्रदेश में राज्य शासन ने 30 सितम्बर 1996 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर जनभागीदारी समितियों का प्रारंभ इस प्रकार किया।

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471) भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 1996 - आश्विन 8, शक 1918

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 1996

क्र. एफ-73-6-96-सी-3-36-शासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन में जन भागीदारी की दृष्टि से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

(क) शासकीय महाविद्यालयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके स्थानीय प्रबंधन को एक समिति को सौंपा जाएगा, यह समिति ''मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973'' के अन्तर्गत पंजीकृत की जाएगी।

(ख) इस समिति को यह अधिकार होगा कि यह महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वेच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करें, विभिन्न गतिविधियों पर फीस लगाएं या बढ़ाए और कन्सलटेंसी आदि के धन एकत्रित करें, इस संसाधनों का उपयोग यह समिति महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के लिए कर सकेगी, समिति जन सहयोग के जरिए महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक पर्यावरण बनाने में सहायक होगी, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिए गए हैं, उनकी प्रबंध समिति को अकादमिक मामलों में भी स्वायतता होगी, अर्थात् ऐसी समितियां स्थानीय स्तर पर प्रवेश नियम बनायेंगी, पाठ्यक्रमों का निर्धारण करेगी, अध्ययन-अध्यापन, परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की नई पद्धतियों का विकास करेंगीं।

(ग) समिति के कार्य कलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जायेगा, यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी, इस सभा का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा, राज्य शासन संबंधित नगर निकाय, जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य, विधायक अथवा सांसद में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त करेगा, सामान्य परिषद् का उपाध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि होगा, सामान्य परिषद् में विधायक, सांसद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

इन परिषद् में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, अभिभाषक, पूर्व विद्यार्थियों, स्थानीय संस्थाओं, दान-दाताओं, कृषकों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं पोषक शालाओं आदि के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, सामान्य परिषद् में अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि होंगे।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य

श्रेणियों में न आये हों, परिषद् का सदस्य नामांकित किया जायेगा।

परिषद् में एक महिला अभिभावक को सदस्य नामांकित किया जायेगा यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो,

दानदाताओं के प्रतिनिधि का नामांकन निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर दानदाताओं में से किया जाएगा :

1. दस हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों द्वारा दस हजार रुपये से अधिक दान देने वालों में से,
2. दस हजार से पचास हजार तक की आबादी वाले स्थानों में रुपये पच्चीस हजार से अधिक दान देने वालों में से।
3. पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में, रुपये पचास हजार से अधिक दान देने वालों में से।
4. एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक दान देने वालों में से, सामान्य परिषद् में नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जाएं, महाविद्यालय के प्राचार्य इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

साधारणतः सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार होगी, आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी, परिषद् नीति-निर्धारण के साथ ही महाविद्यालय की गतिविधियों की सामान्य रूप से देखरेख करेंगी, परिषद् के कार्य-कलापों की प्रक्रिया विस्तृत रूप से निर्धारित कर दी गई है ताकि परिषद् के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो,

(घ) सामान्य परिषद् के अतिरिक्त समिति के कार्य-कलापों के समुचित प्रबंधन के लिए प्रबंध समिति एवं वित्त समिति भी होगी,

(ङ) प्रबंध समिति सभी प्रबंध संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार होगी तथा यह सामान्य परिषद् के कार्य सम्पादन में भी सहायक होगी, सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा, संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिलाध्यक्ष एवं अन्य महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री उपाध्यक्ष होंगे, महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य सचिव होंगे, निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक, विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि, दानदाताओं, एक अशासकीय संगठन तथा स्थानीय औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे, प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी,

(च) वित्त समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होंगे, बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी व्यक्ति, महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक, संबंधित कोषालय अधिकारी या इनके द्वारा मनोनीत उप कोषालय अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे, वित्त समिति महाविद्यालय में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के कार्य में सहायता करेंगी,

(छ) समिति द्वारा स्थानीय रूप से एकत्रित किए गए वित्तीय संसाधनों को किसी अनुसूचित बैंक में समिति की निधि के रूप में रखा जायेगा, इस निधि का व्यय समिति द्वारा स्वयं निर्धारित नियमों प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय की अधोसंरचना के विकास के लिए किया जायेगा, संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अंकेक्षक द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा, महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी,

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा, सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा, इसके लिए नियम बनाये जायेंगे।

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी, तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी, ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेंगी।

(ज) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिए गए हैं उसका अकादमिक परिषद् और अध्ययन मण्डल भी होंगे, अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालय अकादमिक कार्य-कलापों में स्वायत्तता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेंगे, इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषज्ञों तक ही सीमित रहेगी।

(झ) समिति अपने कार्य के लिए कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगी, महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि में से

मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेगी,

(त) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियाँ राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ में से वर्तमान नियमों के अनुसार की जावेगी, भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिए जायेंगे, जिनकी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय होगी, परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

(थ) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जांच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता है।

(द) वह व्यवस्था प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में लागू की जायेगी,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी.डी. अग्रवाल, उपसचिव,

समिति का ज्ञापन

1. समिति का नाम .... होगा।

2. समिति का पंजीयित कार्यालय .... में होगा।

3. समिति की स्थापना का उद्देश्य ....

महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करना, विभिन्न गतिविधियों एवं विषयों के अध्ययन के लिए शुल्क लगाना/बढ़ाना और कन्सलटेन्सी आदि से धन एकत्रित करना। इस प्रकार जुटाये गए संसाधनों का उपयोग का सहयोग के जरिए महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक वातावरण बनाने के लिए करना।

स्वशासी महाविद्यालयों के मामले में समिति के निम्न अतिरिक्त उद्देश्य भी होंगे-

(क) अध्ययनक्रमों और पाठ्यक्रमों का निर्धारण

(ख) शासन के आरक्षण नियमों के अध्याधीन प्रवेश नियमों की रचना

(ग) परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की पद्धतियों का विकास

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध शासक परिषद्, संचालकों, सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित हैः-

क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	धन्धा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.	समिति के सामान्य परिषद् अथवा प्रबंध समिति में से कोई भी सात पदाधिकारियों के नाम व अन्य विवरण अंकित करें।			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

5. समिति के इस ज्ञापन-पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन-पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।

क्र.	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते पिता/पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

जो अनावश्यक हो उसे काटिये।

साक्षी

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पूर्ण पता ....

नियमावली

(1) संस्था का नाम .... होगा।

(2) संस्था का कार्यालय .... म.नं.......... मोहल्ले का नाम ....

तहसील .... जिला .... मध्यप्रदेश।

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र .... मध्यप्रदेश होगा।

(4) संस्था का उद्देश्य ....

(जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वहीं लिखें)

....

....

(1) इन विनियमों, में, यदि विषय या प्रसंग के अनुसार अन्यथा अभीष्ट न होतो

(क) महाविद्यालय से तात्पर्य (नाम) .... शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(ख) समिति से तात्पर्य है, (नाम) .... महाविद्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति

(ग) राज्य शासन से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन,

(घ) विश्वविद्यालय से तात्पर्य है, (नाम) .... विश्वविद्यालय

(ङ) कुलपति से तात्पर्य है, (नाम) .... विश्वविद्यालय का कुलपति,

(च) आयुक्त से तात्पर्य हैं, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल,

(छ) प्राचार्य से तात्पर्य है, संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य,

(2) समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-

(1) सामान्य परिषद

(2) प्रबंध समिति

(3) वित्त समिति

समिति द्वारा समस्त नीति निर्धारण एवं कार्य संचालन के कार्य उक्त संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा।

सामान्य परिषद

(1) समिति के कार्यकलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जाएगा। वह समिति की सर्वोच्च सभा होगी।

(2) सामान्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

क्र.	नाम	पता	पद
1.		संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निकास के सदस्य, विधायक या सांसद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष
2.		कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि	उपाध्यक्ष
3.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का संसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का विधायक या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
5.		प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, स्थानीय संस्थाओं, दानदाताओं, कृषकों एवं पोषक शालाओं के एक-एक प्रतिनिधि	
6.		अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि	सदस्य
7.		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों	सदस्य
8.		एक महिला अभिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो	सदस्य
9.		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
10.		महाविद्यालय का प्राचार्य	सदस्य सचिव

टीप- क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के अन्तर्गत नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जायेंगे।

(3) समिति की सामान्य परिषद् निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्-

(क) महाविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण

(ख) पूर्व में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का समय-समय पर पुनरीक्षण

(ग) विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिए छात्रों देय शुल्क दरों की संरचना तथा अन्य भुगतानों का निर्धारण

(घ) राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निधियों के अलावा निजी संसाधनों से अनुपूरक निधियों के अर्जन की विधियाँ खोजना

(ङ) समिति के वार्षिक वित्तीय अनुमान पर विचार करना, उन्हें अंगीकृत करना

(च) समिति के वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं स्थिति विवरण पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना

(छ) प्रबंध समिति की अनुशंसा पर छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदकों, पारितोषकों तथा प्रमाण-पत्रों को संस्थित करना

(ज) आगामी वर्ष के लिए संस्था के लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण

(झ) यदि आवश्यक हो तो समिति के विनियमों में संशोधनों का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजना

(ञ) महाविद्यालय की किसी चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण अथवा हस्तांतरण स्वीकृति हेतु राज्य शासन को अनुशंसा प्रेषित करना

(4) सामान्य परिषद् के कार्य संचालन की प्रक्रिया :-

(क) साधारणतः सामान्य परिषद की बैठक साल में दो बार होगी। आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी।

(ख) सामान्य परिषद् की बैठक की सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान स्पष्ट अंकित होंगे। बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को पंजीयत डाक से कम से कम इक्कीस दिन पहले प्रेषित हो जानी चाहिए, किन्तु किसी विशेष बैठक के संदर्भ में अध्यक्ष इस समयावधि को घटा भी सकेंगे।

(ग) परिषद् की किसी भी सभा के लिए अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी, परन्तु किसी भी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(घ) परिषद् की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभायेंगे। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यगण अपने बीच में से किसी एक का चुनाव केवल उस बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में करेंगे।

(ङ) अध्यक्ष सहित परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक-एक मत होगा। यदि किसी प्रकरण में दोनों पक्षों को बराबर मत प्राप्त होते हैं, तो उक्त स्थिति में अध्यक्ष का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(च) प्रत्येक बैठक के कार्य विवरण की प्रतिलिपि यथाशीघ्र आयुक्त, शिक्षा की ओर अग्रेषित की जाएगी।

(5) सदस्यों की पंजी :-

(क) समिति की सामान्य परिषद् द्वारा महाविद्यालय में अपने सदस्यों की एक पंजी रखी जाएगी और समिति के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य अपने हस्ताक्षर करेगा। पंजी में प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय एवं पता अंकित रहेगा किसी भी व्यक्ति को पंजी में पूर्वोक्त प्रकार से हस्ताक्षर किए बिना अपनी सदस्यता के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के उपयोग हेतु योग्य नहीं माना जायेगा।

(ख) सामान्य परिषद् के किसी सदस्य के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे समिति के सचिव को सूचित करना होगा, यदि वह अपना नया पता सूचित नहीं कर पाता तो उसका पूर्व पता ही उस पंजी में मान्य होगा।

(ग) सामान्य परिषद के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा तथा प्रत्येक मनोनीत सदस्य को पुर्नमनोनयन की पात्रता होगी।

प्रबंध समिति

1. सामान्य परिषद के अतिरिक्त समिति के कार्यकलापों का समुचित प्रबंधन, प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। प्रबंध समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-

(1) सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा

(२) संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिले का कलेक्टर एवं अन्य महाविद्यालयों में आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा मनोनीत शिक्षाविद् उपाध्यक्ष होंगे।

(३) लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय का प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक, जो मनोनीत किए जायेंगे विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत सदस्य, जो प्राध्यापक स्तर से कम का न हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत एक सदस्य, सामान्य परिषद् का अशासकीय संगठन सदस्य, दानदाताओं एवं स्थानीय औद्योगिक संगठन का प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।

(४) महाविद्यालय के प्राचार्य समिति के सदस्य सचिव होंगे।

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा इन व्यक्तियों को एक और कार्यकाल में पुनः मनोनयन की पात्रता होगी

प्रबंध समिति के कार्य

२. प्रबंध समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे, यथा -

(क) संस्था के उपनियमों के अनुसार शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक कर्मचारी वृन्द में अनुशासन लागू करना और बनाए रखना, किन्तु संस्था में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए राज्य शासन के नियम ही लागू रहेंगे।

(ख) महाविद्यालय के वित्तीय प्रबंध का नियंत्रण एवं निरीक्षण करना तथा व्यय के विनियमन हेतु उप नियमों का अनुमोदन करना।

(ग) प्राचार्य को ऐसे वित्तीय अधिकार प्रदान करना, जो समिति संस्था को निधियों के संदर्भ में उपयुक्त समझे।

(घ) स्वशासी महाविद्यालयों के मामले में अकादमिक परिषद् तथा वित्त समिति एवं अन्य में वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त करने के बाद, महाविद्यालय के छात्रों द्वारा देय शुल्क एवं अन्य भुगतानों की सामान्य परिषद को अनुशंसा करना।

(ङ) संस्थान की छात्रवृत्तियों, अध्येत्तावृत्तियों, पदकों, पारितोषकों एवं प्रमाण-पत्रों को संस्थित करने की सामान्य परिषद को अनुशंसा करना।

(च) दान तथा विन्यास को स्वीकार करना

(छ) सामान्य परिषद के कार्य संपादन में सहायक होना, एवं

(ज) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक कार्यों का संपादन

प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी, किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी

वित्त समिति

1. वित्त समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-

(१)	प्राचार्य	अध्यक्ष
(२)	बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी एक व्यक्ति जिसे प्रबंध समिति द्वारा दो वर्ष के लिए मनोनीत किया जाएगा।	सदस्य
(३)	पारी क्रम से दो वर्ष के लिए प्राचार्य द्वारा मनोनीत महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक	सदस्य
(४)	महाविद्यालय, जिस जिले में स्थित है उसका कोषालय अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो उप कोषालय अधिकारी के पद से नीचे का न हो,	सदस्य

2. वित्त समिति के कार्य

समिति में सभी वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रकरणों में वित्त समिति सहायक होगी, विशेषतः निम्नलिखित कार्यों में, यथा

(1) प्रबंध समिति के अनुमोदनार्थ समिति की निधि के व्यय हेतु उपनियमों का प्रारूप बनाना

(2) वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (वार्षिक बजट) बनाना

(3) यह सुनिश्चित करना कि वार्षिक बजट (वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन) आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व सक्षम अधिकारी/निकाय द्वारा विरचित व अनुमोदित है।

(4) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय पर नियन्त्रण रखना एवं यदि आवश्यक हो तो बजट में संशोधन अनुशंसित करना।

(5) लेखा बहीं खातों और तत्संबंधी खातों का अपेक्षित और समुचित रख-रखाव कराना।

(6) वार्षिक लेखा-जोखा तैयार कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना एवं उसे अंकेक्षकों को अग्रेषित करना।

(7) अंकेक्षित प्रतिवेदनों पर विचार कर टिप्पणियाँ अंकित एवं प्रबंध समिति से अनुमोदित कराना।

(8) सामान्य परिषद् के विचारार्थ अंकेक्षकों का पैनल प्रस्तावित करना, एवं

(9) ऐसे सभी प्रस्तावों का परीक्षण व अनुशंन जो पद रचना, पूँजी एवं अन्य व्यय की स्वीकृति से संबंधित हों

(3) निधि

निम्नलिखित संस्था की निधि के भाग होंगे -

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त समस्त राशियाँ

(ख) समस्त शुल्क एवं समिति द्वारा वसूल की जाने वाली अन्य राशियाँ

(ग) व्यक्तियों अथवा संस्थानों से अनुदान, उपहार, दान, सहायता राशि एवं वसीयत के रूप में प्राप्त सभी राशियाँ एवं अन्य सभी प्राप्तियाँ। संस्था की निधि भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट 1934 (क्र. 2 सन् 1934) में परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी तथा इसका व्यय सामान्य परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट तथा प्रबंध समिति द्वारा इस हेतु वित्त समिति की अनुशंसा पर बनाए गए उपनियमों में निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए किया जाएगा।

राज्य शासन से महाविद्यालय को प्राप्त सभी प्राप्तियाँ उनमें से व्यय, लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमों से शासित होगा। संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अंकेक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा। महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी।

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा। सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत जैसी गतिविधियों के लिए नहीं किया जायेगा। इसके लिए नियम बनाये जायेंगे।

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी। ये सभी अतिरिक्त की निधि में सम्मिलित की जायेगी।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा

(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

तथा

उसके तहत् जारी निर्देश

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
1999

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

मध्यप्रदेश सिविल सेवा

(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

तथा

उसके तहत् जारी निर्देश

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
1999

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

भाग-1

मध्यप्रदेश सिविल सेवा
(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

(मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त, 1961 के भाग 4 में प्रकाशित)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 1961—आषाढ़ 22, 1883.
(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

क्रमांक 1783-1585-एक (तीन)-60.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के कार्यों के संबंध में लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भरती तथा सेवा शर्तों को विनियमन करने के लिये निम्नलिखित सामान्य नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) ये नियम मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 कहलायेंगे.

(2) ये नियम इनके "मध्यप्रदेश राजपत्र" सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1783-1585-एक (तीन) 60, दिनांक 13 जुलाई, 1961 में अधिसूचित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) किसी सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य शासन या ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे उस सेवा या पद पर नियुक्त करने की शक्ति शासन द्वारा सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाए.

(ख) "आयोग" से तात्पर्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से है.

(ग) "शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है.

(घ) "राज्यपाल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है.

(ङ) "पद" से तात्पर्य शासन के अधीन पूर्णकालिक नियोजन से है किन्तु इसमें कोई नियोजन सम्मिलित नहीं है, जिसमें कर्मचारी को भुगतान "आकस्मिकता निधि" से किया जाता हो.

(च) विहित से तात्पर्य राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं के संबंध में भारत के संविधान के अधीन बनाये गये अन्य नियमों द्वारा या शासन द्वारा उस संबंध में जारी किये गये सामान्य या विशेष कार्यकारी अनुदेशों द्वारा विहित से है.

(छ) "सेवा" से तात्पर्य भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को छोड़, राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सेवा या पदों के समूहों से है, जो शासन द्वारा उस रूप में संगठित और पदांकित हो.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Bhopal, the 13th July 1961, Asadha 22, 1883
(As amended upto 2-4-1998)

(Published in State Gazette dt. 4-8-1961).

No. 1783-1585-I (iii)-60.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following general rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the State of Madhya Pradesh, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961.

(2) These rules shall come into force on the date they are notified in the State Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires;—

(a) "Appointing authority" in respect of a service or post means the Government or such authority to whom the power of appointment to that service or post has been or may hereafter be, delegated by Government;

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

(c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(e) A "Post" means a whole time employment under Government but does not include any employment where the employee is [redacted] paid from contingencies;

(f) "Prescribed" means prescribed by other rules framed under the Constitution of India relating to the service in connection with the affairs of the State, or by general or special executive instructions issued by the Government in that behalf;

(g) A "Service" means a service of group of posts in connection with the affairs of the State other than the Indian Adminstrative Service and the Indian P[illegible] Service, organized and designated as such by Government;

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

(ज) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति.**—ये नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जो राज्य में कोई पद धारण कर रहा हो या किसी सेवा का सदस्य हो किन्तु ये निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति और नियोजन की शर्तें, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के विशेष उपबंधों द्वारा विनियमित हों,

(ख) ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति और सेवा की शर्तों के संबंध में विशेष उपबंध बनाये गए हों या इसके पश्चात् करार द्वारा बनाये जायें,

(ग) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्ति.

परन्तु उनसे किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो उनकी सेवाओं से या उनके पदों से संबंधित विशेष उपबंधों के अंतर्गत न आता हो, ये नियम उपर्युक्त खंड (क), (ख), (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों पर लागू होंगे.

4. **वर्गीकरण.**—(1) राज्य की लोक सेवाएं निम्नानुसार वर्गीकृत की जायेंगी:—

(एक) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, प्रथम श्रेणी.
(दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, द्वितीय श्रेणी.
(तीन) (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)
(ख) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)
(चार) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, चतुर्थ श्रेणी.

(2) किसी विद्यमान सेवा या पद का और किसी नई सेवा या पद का वर्गीकरण शासन द्वारा अवधारित किये गये अनुसार होगा:

परन्तु इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी किये गये आदेशों के अधीन किया गया किसी विद्यमान सेवा या पद का वर्गीकरण तब तक इन नियमों के अधीन जारी किया गया इसका वर्गीकरण समझा जायगा जब तक कि इस संबंध में जारी किये गये विशेष या सामान्य आदेशों द्वारा उसे उपांतरित न कर दिया जाए:

परन्तु यह और कि किसी सेवा या पद के वर्गीकरण में प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी से तृतीय या तृतीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के रूप में किया गया परिवर्तन प्रभावित व्यक्ति की पदावनति नहीं समझा जायेगा.

5. **नियुक्ति के लिये पात्रता.**—किसी सेवा या पद पर नियुक्त होने के लिये उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिये, या
(ख) सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या
(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

(h) The "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and application.**—The rules shall apply to every person who holds a post or is a member of a service in the State, except :—

(a) persons whose appointment and conditions of employment are regulated by the special provisions of any law for the time being in force;

(b) persons in respect of whose appointment and conditions of service special provisions have been made, or may be made hereafter by agreement;

(c) persons appointed to the Madhya Pradesh Judicial Service :

Provided that in respect of any matter not covered by the special provisions relating to them, their services or their posts, these rules shall apply to the persons mentioned in clauses (a), (b) and (c) above.

4. **Classification.**—(1) The public services of the state shall be classified as follows :—

(i) The Madhya Pradesh Civil Services, Class-I.

(ii) The Madhya Pradesh Civil Services, Class-II.

(iii) (a) The Madhya Pradesh Civil Services, Class-III (Non-Ministerial);

(b) The Madhya Pradesh Civil Services, Class III (Ministerial); and

(iv) The Madhya Pradesh Civil Services, Class IV.

(2) The classification of an existing service or post and of a new service or post shall be as determined by the Government :

Provided that the classification of an existing service or post under the orders that may have been issued before the coming into force of these rules shall be deemed to be its classification under these rules unless modified by special or general orders issued in this behalf;

Provided further that a change in classification of a service or post from class I to class II or from class II to class III or from class III to class IV shall not be deemed to be a reduction in rank of the person affected.

5. **Eligibility for appointment.**—A candidate for appointment to a service or post must be either—

(a) a citizen of India; or
(b) a subject of Sikkim; or
(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan with the intention of

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये.

टिप्पणी.—1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष मे राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बन जाए. तथापि पात्रता के प्रमाण-पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले मे आवश्यक नहीं होंगे.

(एक) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं.

(दो) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है.

(तीन) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी, 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में हैं.

टिप्पणी.—2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए.

6. **अनर्हताएं.**—(1) कोई भी पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी :

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधन हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा.

(2) किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी उम्मीदवार को, उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्यधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी.

(3) कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसी कि आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

permanently settling in India; or

(d) a subject of Nepal or of a Portugese or French territory of India.

Note.—The appointment of candidates in categories (c) and (d) above will be subject to the issue of a certificate of eligibility by the State Government in their favour. The certificate of eligibility in respect of a candidate belonging to category (c) above will be valid only for a period of one year from the date of his appointment beyond which he can be retained in service only if he has become a citizen of India. Certificates of eligibility will not, however, be necessary in the cases of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) persons who migrated to India from Pakistan before the 19th July, 1948 and have ordinarily been residing in India since then;

(ii) persons who migrated to India from Pakistan after the 18th July, 1948 and have got themselves registered as citizens;

(iii) non-citizens in categories (c) and (d) above who entered service under the Government before the commencement the Constitution, namely, 26th January, 1950, and who have continued in such service since then.

Note. 2—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be appointed provisionally subject to the necessary certificate being eventually issued in his favour by the State Government.

6. **Disqualifications.**—(1) No male candidate who has more than one wife living and no female candidate who has married a person having already a wife living shall be eligible for appointment to any service or post :

Provided that the Government may, if satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.

(2) No candidate shall be appointed to a service or post unless he has been found, after such medical examination as may be prescribed, to be in good mental and bodily health and free from any mental or bodily defect likely to interfere with the discharge of the duties of the service or post:

Provided that in exceptional cases a candidate may be appointed provisionally to a service or post before his medical examination, subject to the condition that the appointment is liable to be terminated forthwith if he is found medically unfit.

(3) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post if, after such enquiry as may be considered necessary, the appointing authority is satisfied that he is not suitable in any respect for the service or post.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

*(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायगा.

7. **भरती का तरीका.**—किसी उम्मीदवार का किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये चयन यथाविहित निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या अधिक तरीकों से किया जायेगा, अर्थात् :—

(एक) सीधी भरती द्वारा,
(दो) पदोन्नति द्वारा,
(तीन) किसी अन्य सेवा या पद पर पहले से ही नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा:

परन्तु किसी व्यक्ति को किसी सेवा या पद पर नियुक्त करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जाएगा यदि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) विनियम, 1957 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के अधीन ऐसा परामर्श आवश्यक हो.

8. **परिवीक्षा.**—(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को साधारणत: ऐसी अवधि के लिये, जैसी कि विहित की जाये, परिवीक्षा पर रखा जाएगा.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से, परिवीक्षा अवधि को ऐसी अवधि तक और बढ़ा सकेगा जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

**टिप्पणी विलोपित :

(3) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होगी जो विहित की जाये.

(4) परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा की अवधि के दौरान उस स्थिति में समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह मत हो कि वह एक उपयुक्त शासकीय कर्मचारी सिद्ध नहीं हो सकेगा.

(5) जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या जिसे सेवा या पद के अनुपयुक्त पाया जाये, उसकी सेवाएं परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर समाप्त की जा सकेगी.

---

* सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-17-96-3-एक, दिनांक 25 अक्टूबर, 1996 द्वारा जोड़ा गया है जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-10-96 में प्रकाशित हुआ है.

**टिप्पणी :—(सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. 3-15/74/3/1, दिनांक 9-12-74 द्वारा विलोपित की गई है).

उपनियम (2) की टिप्पणी निम्नानुसार थी :—

टिप्पणी.—ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसकी परिवीक्षा अवधि इस उप नियम के अधीन बढ़ाई न गई हो, किन्तु जिसे परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् न तो सेवा में स्थायी ही किया गया हो और न ही सेवा मुक्त किया गया हो, इस शर्त के अध्यधीन सेवा में रखा गया समझा जायेगा कि उसकी सेवा किसी भी पक्ष द्वारा दी गई एक अंग्रेजी माह की लिखित सूचना की अवधि [illegible] होने पर समाप्त की जा सकेगी.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

*(4) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has been convicted of an offence against women :

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Criminal Case.

7. **Methods of Recruitment.**—Candidates shall be selected for appointment to a service or post by one or more of the following methods as may be prescribed,namely :—

(i) direct recuitment;
(ii) promotion;
(iii) transfer of person or persons already employed in another service or post :

Provided that the commission shall be consulted before a person is appointed to a service or post if such consultation is necessary under Article 320 of the Constitution read with the Madhya Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1957.

8. **Probation.**—(1) A person appointed to a service or post by direct recruitment shall ordinarily be placed on probation for such period as may be prescribed.

(2) The appointing authority may, for sufficient reasons, extend the period of probation by a further period not exceeding one year.

****Note.**—(Omitted).

(3) A probationer shall undergo such training and pass such departmental examination during the period of his probation as may be prescribed.

(4) The services of a probationer may be terminated during the period of probation if in the opinion of the appointing authority he is not likely to shape into a suitable Government Servant.

(5) The services of a probationer who has not passed the departmental examinations or who is found unsuitable for the service or post may be terminated at the end of the period of his probation.

---

* In rule 6 subrule (4) added vide GAD Notification No. FN-C-3-17-96-3-1, dated 25-10-96, published in "Madhya Pradesh Gazette, dated 25-10-96.

** Note omitted vide GAD Notification No. C-3-15-74-3-1, dated 09-12-74, published in "Madhya Pradesh Gazette" dated 20-12-74.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

*(6) सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध हो, उसी सेवा या पद पर स्थायी किया जायेगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है अन्यथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका और यह कि स्थाई पद उपलब्ध हो जाते ही उसे स्थायी कर दिया जायेगा.

**(7) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसे न तो स्थायी किया गया है और जिसके पक्ष में न ही उप नियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो या जिससे उप-नियम (4) के अधीन सेवा से उन्मोचित्त न किया गया हो, परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से अस्थाई शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा उसकी सेवा की शर्तें "मध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट (टेम्परेरी एण्ड क्वासी परमानेन्ट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होगी."

9. **स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिये परीक्षण.**—(1) कोई व्यक्ति जो पहले से ही, स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाये, उस सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिये सामान्यत: दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु शासन यह घोषित कर सकेगा कि ऐसी सेवा या पद पर पूर्विक स्थानापन्नता की कालावधि को उस सीमा तक, जो कि किसी विशिष्ट मामले में विनिर्दिष्ट की जाये परीक्षण की कालावधि के प्रति गिना जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि शासकीय कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर, नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती भी की जाती हैं तो स्थानापन्नता की कालावधि उस परिवीक्षा की कालावधि के बराबर होगी जो कि नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति के लिये विहित है.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, स्थानापन्नता की कालावधि को पर्याप्त कारणों से और एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा:

परन्तु यदि शासकीय सेवक उस पद पर नियुक्त किया जाता है जिस पर कि ऐसे पदों पर नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी नियुक्तियां की जाती हैं और नियमों में परिवीक्षा की कालावधि के विस्तार का उपबंध है तो वह कालावधि, जिस तक के लिये स्थानापन्नता की कालावधि और विस्तारित की जा सकेगी, उस कालावधि के बराबर होगी जिस तक के लिये नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती किये गये व्यक्ति की परिवीक्षा कालावधि विस्तारित की जाने योग्य है.

---

* यह उप नियम सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक सी-3-15/74/3/1, दिनांक 9-12-74 पूर्व के उप नियम के स्थान पर स्थापित किया गया है जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4(ग), दिनांक 20-12-74 में प्रकाशित हुआ है.

पूर्व का उप-नियम 6 निम्नानुसार है :—

(6) परिवीक्षा के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उस सेवा या पद पर जिस पर वह नियुक्त किया गया हो, स्थायी कर दिया जायगा.

** उपनियम (7) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3-15-74-3-एक, दिनांक 9-12-74 द्वारा जोड़ा गया जो म. प्र. राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 20-12-74 में प्रकाशित किया गया.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

*(6) On the successful completion of probation and passing of the prescribed departmental examination, if any, the probationer shall, if there is a permanent post available, be confirmed in the service or post to which he has been a appointed, otherwise, a certificate shall be issued in his favour by the appointing authority to the effect that the probationer would have been confirmed but for the not availability of the permanent post and they as soon as a permanent post becomes available he will be confirmed.

*(7) A probationer, who has neither been confirmed, nor a certificate issued in his favour under sub-rule (6), nor discharged from service under sub-rule (4), shall be deemed to have been appointed as a temporary Government servant with effect from the date of expiry of probation and his conditions of service shall be governed by the Madhya Pradesh Government Servant (Temporary and Quasi-permanent Service) Rules, 1960.

9. **Trial for suitability of officiating Government Servants.**—(1) A person already in permanent government service appointed to another service or post by direct recruitment, promotion or transfer shall ordinarily be appointed in an officiating capacity for the period of two years to as certain his suitability for the service or post;

Provided that the Government may declare that any previous officiation in such a service or post may be counted towards the period of trial to such extent as may be specified in the particulars case :

Provided further that if the Government servant is appointed to a post to which direct recruitment is also made in accordance with the recruitment rules governing appointments to such post then the period of officiation shall be equal to the period of probation prescribed for a person appointed by direct recruitment to the said post under the rules.

(2) The appointing authority may for sufficient reasons extend the period of officiation by further period not exceeding one year :

Provided that if the Government servant is appointed to a post to which direct recruitment is also made in accordance with the Recruitment rules governing appointments to such posts and the rules provide for extension of the period of probation then the period by which the period of officiation may be further extended shall be equal to the period by which the period of probation is extendable for a person appointed by direct recruitment to the said post under the rules.

---

* Sub rule (6) substituted and sub-rule (7) inserted vide GAD Notification No. C-3-15-74-3-1, dated 9-12.74. published in 'Madhya Pradesh Gazette' dated 9-12-74.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

(3) यदि स्थानापन्नता की कालावधि या बढ़ाई गई स्थानापन्नता की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर शासकीय सेवक उस सेवा या पद के लिये अनुपयुक्त पाया जाये, जिस पर कि उसे नियुक्त किया गया है तो उसे उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा.

टिप्पणी:—विहित विभागीय परीक्षायें, यदि कोई हों, ऐसी कालावधि के भीतर जो उस प्रयोजन के लिये अनुज्ञात की जाये, उत्तीर्ण न करने पर शासकीय कर्मचारी को, उस सेवा या पद हेतु जिस पर कि वह स्थापनापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, उसकी उपयुक्तता प्रदर्शित करने में असफल समझा जायेगा.

(4) यदि परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर, स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उस सेवा या पद के लिये जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उपयुक्त समझा जाये तो यदि स्थाई पद उपलब्ध है तो उसे उस सेवा या पद पर जिसमें उसे नियुक्त किया गया है, स्थाई कर दिया जायेगा अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र उसके पक्ष में जारी किया जायेगा कि स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थाई पद उपलब्ध नहीं है और जैसी ही स्थायी पद उपलब्ध होता है, उसे स्थायी कर दिया जायेगा.

(5) ऐसा कोई शासकीय कर्मचारी जिसे उपनियम (4) के अधीन न तो स्थायी किया गया है, न उसके पक्ष में प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और न ही उसे उप नियम (3) के अधीन उसकी पूर्व की मूल सेवा का पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है, उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेश पर्यन्त सेवा में बना रहा समझा जायेगा और ऐसी कालावधि के दौरान वह किसी भी समय अपनी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के दायित्वाधीन होगा.

10. **पदक्रम सूची.**—प्रत्येक सेवा के लिये एक पदक्रम सूची रखी जायेगी जिसमें उस सेवा में सम्मिलित पद धारण करने वाले शासकीय कर्मचारियों के नाम उनकी वरिष्ठता के क्रम से लिखे जायेंगे:

परन्तु यदि सेवा में पदों की दो या अधिक भिन्न-भिन्न शाखायें या समूह हो और साधारणत: एक शाखा से दूसरी शाखा में या एक पद समूह से दूसरे पद समूह में स्थानान्तरण न किया जाता हो, तो ऐसी सेवा की शाखा या पद समूह के लिये एक पृथक् पदक्रम सूची रखी जायेगी.

11. **राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में तैयार की गई पदक्रम सूचियां.**—इन नियमों में दी गई किसी भी बात का प्रभाव यह नहीं होगा कि उसके कारण राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसरण में तैयार की गई शासकीय सेवक की सेवा से संबंधित पदक्रम सूची में उसकी वरिष्ठता परिवर्तित हो जायेगी.

*12. **वरिष्ठता.**—किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जायेगी, अर्थात्:—

(1) **सीधी भरती किये गये तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता.—**

(क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पदग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जायेगी जिसमें नियुक्ति के लिये उनकी सिफारिश की गई है. पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

* नियम 12 सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ सी-3-84-92-3-एक, दिनांक 2-4-98 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-4-98 में प्रकाशित हुआ. पूर्व नियम पृष्ठ 47 पर हैं.

(3) If during or at the end of the period of officiation or extended period of officiation, the government servant is found unsuitable for the service or post to which he has been appointed he shall be reverted to his former substantive service or post.

Note.—The failure to pass prescribed departmental examination, if any, within such period as may be allowed for the purpose may be construed as failure to show fitness for the service or post in which the Government Servant is officiating.

(4) If at the end of the period of the trial the officiating Government Servant is considered suitable for the service or post to which he has been appointed he shall, if there is a permanent post available, be confirmed in the service or post to which he has been appointed, otherwise a certificate shall be issued in his favour by the appointing authority to the effect that the officiating Government Servant would have been confirmed but for the non availability of the permanent post and that as soon as a permanent post becomes available he will be confirmed.

(5) An officiating Government servant who has neither been confirmed, nor a certificate has been issued in his favour under sub-rule (4) nor reverted to his former substantive service or post under sub-rule (3) shall, notwithstanding anything contained in sub-rule (2), be deemed to have been continued in officiating capacity till further orders and during such period he shall at any time be liable to be reverted to his substantive service or post.

10. **Gradation List.**—A gradation list shall maintained for each service in which shall be arranged in order of seniority the names of the Government servants holding the posts included in that service :

Provided that when a service consists of two or more distinct brances or groupes of posts and transfers are not ordinarily made from one branch or group of posts to another, a separate gradation list shall be maintained for each branch or group of posts of such service.

11. **Gradation lists prepared in connection with State Re-organisation.**—Nothing in these rules shall have the effect of altering the seniority of a Government Servant in the gradation list relating to his service prepared in pursuance of the provisions of the State Re-organisation Act, 1956.

*12. **Seniority.**—The seniority of the members of a service or a distinct branch or group of posts of that service shall be determined in accordance with the following principles, viz—

(1) **Seniority of Direct Recruits and Promotees.**—(a) The Seniority of persons directly appointed to a post according to rules shall be determined on the basis of the order of merit in which they are recommended for appointment irrespective the date of joining. Persons appointed as a result of an earlier selection shall be senior to those appointed as a result of a subsequent selection.

* Rule 12 substituted vide GAD Notification No. C-3-84/92/3/1 dated 02-04-98 published in "M. [illegible] Gazette" (Extraordinary) dated 02-04-98.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

(ख) जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिये उनकी सिफारिश की जाती है.

(ग) जहां पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती है तो उसी समय पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति की पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था.

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जायेगी.

(ङ) सीधे भरती किये गये तथा पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किये जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी.

(च) यदि किसी सीधी भरती की परिवीक्षा की कालवधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिये जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिये.

(छ) यदि सीधी भरती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लाक) सीधी भरती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे.

2. **स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता.**—(क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानान्तरणों के लिये उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी.

(ख) जहां कोई व्यक्ति सीधी भरती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानान्तरण के लिये उपबंधित भरती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसा स्थानान्तरित व्यक्ति यथा स्थिति, सीधी भरती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा तथा उसे यथा स्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भरती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जावेगा.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

(b) Where promotions are made on the basis of selection by a Departmental Promotion Committee, the seniority of such promotees shall be in the order in which they are recommended for such promotion by the Committee.

(c) Where promotions are made on the basis of seniority subject to rejection of the unfit, the seniority of persons considered fit for promotion at the same time shall be the same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted. Where however a person is considered as unfit for promotion and is superseded by a junior, such person shall not, if subsequently found suitable and promoted, take seniority in the Higher grade over the junior persons who had superseded him.

(d) The seniority of a person, whose case was deferred by the Departmental Promotion Committee for lack of Annual Character Rolls or for any other reasons but subsequently found fit to be promoted from the date on which his junior was promoted, shall be counted from the date of promotion of his immediate junior in the select list of from the date on which he is found fit to be promoted by the Departmental Promotion Committee.

(e) The relative seniority between direct recruits and promotees shall be determined according to the date of issue of appointment/promotion order :

Provided that if a person is appointed/promoted on the basis of roster earlier than his senior, seniority of such person shall be determined according to the merit/select/fit list prepared by the appropriate authority.

(f) If the period of probation of any direct recruit or the testing period of any promotee is extended, the appointing authority shall determine whether he should be assigned the same seniority as would have been assigned to him if he had completed the normal period of probation/testing period successfully, or whether he should be assigned a lower seniority.

(g) If orders of direct recruitment and promotion are issued on the same date, promotee persons enblock shall be treated as senior to the direct recruitees.

2. **Seniority of Transferees.**—(a) The realtive seniority of persons appointed by transfer from one department to another department of the State Government shall be determined in accordance with the order of their selection for such transfer.

(b) Where a person is appointed by transfer in accordance with the provisions in the Recruitment Rules, providing for such transfer in the event of non availability of suitable candidates by direct recruitment or promotion, such transferee shall be grouped with direct recruits or promotees, as the case may be, and he shall be ranked below all direct recruits or promotees, as the case may be, selected on the same occasion.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

(ग) व्यक्तियों के मामले में जो आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहां संगत भरती नियमों में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण की व्यवस्था हो) किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियत किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यत: उसे संविलियन की तारीख से की जावेगी. तथापि यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अध्यधीन ध्यान में रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको कि वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद हो, नियुक्त किया गया था.

स्पष्टीकरण.—तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किए गए अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे सविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा.

3. **विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता.**—(क) ऐसे मामलों में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद या कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो तथा यह भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने के लिये लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी जैसी की उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होती.

(ख) ऐसे मामलों में जहां कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिये की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश के शर्त अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जा सकेगी.

(ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे.

(घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिये अलग अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि:—

(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो तथा,

(दो) इन तारीखों में इन संवर्ग में किसी पदोन्नन व्यक्ति का नियुक्ति के लिये अनुमोदन न किया गया हो.

4. **तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता.**—(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं के नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जाएगी.

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलत: अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति नियमों के अनुसार, सेवा में में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिये स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

(c) In the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later (i.e. where the relevant recruitment rules provide for "transfer on deputation/transfer") his seniority in the grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of absorption. If he has however been holding already (on the date of absorption) the same or equivalent grade on regular basis, in his parent department, such regular service in the grade shall also be taken into account in fixing his seniority, subject to the condition that he will be given seniority, from the date he has been holding the post on deputation or the date from which he has been appointed on a regular basis to the same or equivalent grade in his present department whichever is later.

Explanation.—The fixation of seniority of a transferee in accordance with the above rule will not however affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption. In other words it will be operative only in filling up of vacancies in higher grade taking place after such absorption.

2. **Seniority in special types of cases.**—(a) In case where a penalty of reduction to a lower service, grade or post is imposed on a Government servant and such reduction is for a specified period and is not to operate to postpone future increments, the Seniority of the Government servant may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed in the higher service, grade or post or the higher time scale at what it would have been but for his reduction.

(b) Where the reduction is for a specified period and is to operate to postpone future increments, the seniority of the Government servant on repromotion may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed by giving credit for the periodof service rendered by him in the higher service, grade or post or higher time scale.

(c) The surplus employees shall not be entitled for the benefit of the past service rendered in the previous office for the purpose of their seniority in the new office and such employees shall be treated as fresh entrants in the matter of their seniority.

(d) When two or more surplus employees of a particular grade in an office are selected on different dates for absorption in a grade in another office their inter-se-seniority in the later office shall be the same as in their previous office provided that :—

(i) no direct recruits has been selected for appointment to that grade in between these dates, and

(ii) no promotee has been approved for appointment to that grade in between these dates.

4. **Seniority of Adhoc employees.**—(a) A person appointed on adhoc basis shall not get any seniority till the regularisation of his services.

(b) If a person is appointed on adhoc basis by substantially following the procedure laid down by the Recruitment Rules and the appointee continues in the post uniterruptedly till the regularisation of his service in accordance with the rules, the period of officiating service shall be counted for seniority.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

13. **पदोन्नति.**—शासन प्रत्येक ग्रेड या सेवा के संबंध में, जिसमें पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जा सकती हो, ऐसा ग्रेड या सेवा, जिससे ऐसी पदोन्नति की जा सकेगी तथा वह ऐसे प्रयोजन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विशेष रूप से यह अवधारित करेगा कि क्या ऐसी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर इस शर्त के अध्यधीन की जायेगी कि पदोन्नति के अयोग्य समझे गये व्यक्तियों को अस्वीकृत कर दिया जायगा या क्या पदोन्नति के लिये चयन ऐसे व्यक्तियों में से योग्यता के आधार पर किया जायेगा जो निम्न ग्रेड या सेवा में ऐसी न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर चुके हों, जो कि विहित की जाये.

14. **प्रत्यावर्तन तथा पुनर्नियुक्ति.**—उच्च ग्रेड या सेवा में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे स्थायी शासकीय कर्मचारी उस निम्न ग्रेड या सेवा में जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया था, उस स्थिति में प्रत्यावर्तित किये जा सकते हैं जब उच्च ग्रेड या सेवा में कोई रिक्त स्थान न हो और ऐसा प्रत्यावर्तन पदावनति नहीं समझी जाएगी:

परन्तु वह आदेश जिसमें ऐसा प्रत्यावर्तन किया जाएगा, उस आदेश का उलटा होगा जिससे स्थानापन्न पदोन्नति की गई हो, किन्तु केवल उस स्थिति को छोड़ जिसमें प्रशासनिक सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किसी स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को इस परन्तुक के अनुसार नहीं किन्तु अन्यथा प्रत्यावर्तित करना आवश्यक हो जाये:

परन्तु यह और कि कोई स्थान रिक्त होने पर उच्च ग्रेड या सेवा में पुनर्नियुक्ति सामान्यत: प्रत्यावर्तित शासकीय कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठताक्रम के अनुसार की जाएगी.

15. **रक्षोपाय.**—इन नियमों या इनके अधीन जारी किये गये किसी भी आदेश में दी गई किसी बात के प्रभावस्वरूप कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अधिकार या सुविधाधिकार से वंचित नहीं होगा जिसका वह—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन, अथवा

(ख) इन नियमों के प्रारंभ होने के समय ऐसे व्यक्ति और शासन के बीच विद्यमान किसी संविदा या करार के निर्बन्धनों द्वारा हकदार हो:

16. **छूट.**—इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्य के कार्यों से संबंधित सेवा में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के मामले में राज्यपाल द्वारा ऐसी रीति से, जो उसे न्यायपूर्ण और सामयिक प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु जब किसी व्यक्ति के मामले में किसी नियम को शिथिल किया जाये, तो मामले पर ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जाएगी जो उस व्यक्ति के लिये उस नियम में उपबंधित रीति से कम हितकर हो.

17. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे, तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा:

18. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी सभी नियम, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पहले प्रवृत्त हो, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

13. **Promotion.**—The Government shall determine in respect of each grade or service to which appointment may be made by promotion, the grade or service from which such promotion may be made and the procedure to be followed for the purpose, and in particular whether such promotion shall be on the basis of seniority subject to the rejection of the persons considered unfit for promotion or whether the selection for promotion shall be determined on the basis of merit from among persons who had completed in the lower grade or service such minimum period of service as may be prescribed.

14. **Reversion and re-appointment.**—Permanent Government servants officiating in a higher grade or service may be reverted to the lower grade or service from which they were promoted if there are no vacancies in the former grade or service, and such reversion shall not be construed to be a reduction in rank :

Provided that the order in which such reversion shall be made will be the reverse of the order in which officiating promotion was made, except when administrative convenience renders it necessary to revert and officiating Government servant otherwise than in accordance with this proviso :

Provided further that on the occurance of a fresh vacancy the re-appointment to the higher grade or service shall ordinarily be in the order of relative seniority of the reverted Government Servants.

15. **Safeguards.**—Nothing in these rules or in any order issued under them shall have the effect of depriving any person of any right or previlege to which he is entitled—

(a) By or under any law for the time being in force, or

(b) By the terms of any contract or agreement subsisting between such person and the Government at the commencement of these rules.

16. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person serving in a connection with the affairs of the State in such manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that where any rules is relaxed in the case of any person, the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him then that provided by that rule.

17. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision there on shall be final.

18. **Repeal and Saving.**—All rules corresponding to these and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed :

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एच. एस. कामथ)
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन.

[मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 1974 के भाग 4 (ग) में प्रकाशित]

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Sd./-
(H. S. KAMATH)
Chief Secretary to
Government of Madhya Pradesh.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

भाग-2

मध्यप्रदेश सिविल सेवा
(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

में

समय-समय पर किये गये

संशोधन

तथा

उसके तहत् जारी निर्देश

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

एफ. क्र. 3-15-74-3-एक:—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (जनरल कण्डिशन्स ऑफ सर्विस) रूल्स, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 8 में,—

(1) उपनियम (2) के नीचे दिये गये टिप्पण का लोप किया जाय,

(2) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(6) सफलता पूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध हो, उसी सेवा या पद पर स्थायी किया जायेगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है अन्यथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका और यह कि स्थायी पद उपलब्ध हो जाते ही उसे स्थायी कर दिया जायेगा."

(3) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(7) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसे न तो स्थायी किया गया है और जिसके पक्ष में न ही उपनियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो या जिसे उपनियम (4) के अधीन सेवा से उन्मोचित न किया गया हो, परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से अस्थायी शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा उसकी सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश गवर्नमेंट सर्वेंटस् (टेंपररी एण्ड क्वासी परमानेन्ट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होंगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द मोहन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

एफ. क्र. 3-15-74-3-एक.—भारत के संविधान से अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 3-15-74-3-एक, दिनांक 9 दिसम्बर 1974 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द मोहन, उपसचिव.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

(Published in "Madhya Pradesh Gazette Part-4" dated 20th December 1974)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
General Administration Department

Bhopal the 9th December, 1974

F. No. 3-15-74-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 8—

(1) the note below sub-rule (2) shall be omitted;

(2) for sub-rule (6) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(6) On the successful completion of probation and passing of the prescribed departmental examination, if any, the probationer shall, if there is a permanent post available, be confirmed in the service or post to which he has been appointed, otherwise a certificate shall be issued in his favour by the appointing authority to the effect that the probationer would have been confirmed but for the non-availability of the permanent post and that as soon as a permanent post becomes available he will be confirmed.".

(3) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted namely :—

"(7) A probationer, who has neither been confirmed, nor a certificate issued in his favour under sub-rule (6), nor discharged from service under sub-rule (1), shall be deemed to have been appointed as a temporary Government servant with effect from the date of expiry of probation and his conditions of service shall be governed by the Madhya Pradesh Government Servants (Temporary and Quasi-permanent Service) Rules, 1960."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANAND MOHAN, Dy. Secy.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

एफ क्रमांक 3-15/74/3/1 भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः—शासकीय सेवकों को अन्य पदों में सीधी भरती से नियुक्त करने की कार्य प्रणाली तथा वेतन निर्धारण.

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जब कोई शासकीय सेवक चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, किसी अन्य सेवा या पद में सीधी भरती से नियुक्त किया जाता है तो उसे परिवीक्षा पर ही नियुक्त किया जाए. यह आवश्यक नहीं है कि जब स्थायी पद रिक्त हो तभी सीधी भरती से नियुक्त व्यक्तियों को परिवीक्षा पर रखा जाए. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(6) को अब इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है कि परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को, यदि परिवीक्षावधि समाप्त होने पर स्थायी पद उपलब्ध न हो तो, भविष्य में जब कभी भी स्थायी पद उपलब्ध होगा, तब स्थायी किया जाएगा, तथा इस प्रकार का प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कर दिया जावेगा.

2. परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाने पर स्थायी शासकीय सेवक का वेतन निम्नलिखित अनुसार संरक्षित रहेगा:—

(1) स्थायी शासकीय सेवक का स्थायी पद पर मिलने वाला वेतन यदि नये पद के, निम्नतम वेतन से अधिक रहता है तो उसके द्वारा धारित स्थायी पद का वेतन संरक्षित रहेगा.

(2) उनकी वार्षिक वेतन वृद्धियां मूलभूत नियम 22 (सी) के उपबंधों के अनुसार शासित होगी, अर्थात् उनके स्थायी पद के वेतन के साथ वेतन वृद्धियां भी संरक्षित रहेगी.

(3) अस्थायी शासकीय सेवक जब किसी अन्य सेवा या पद में सीधी भरती नियुक्त किया जाता है तो उसकी नियुक्ति उसी प्रकार परिवीक्षा पर ही की जाये जिस प्रकार बाहर के व्यक्तियों को सीधी भरती से नियुक्तियां की जाती हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(आनन्द मोहन)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E-ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

एफ क्रमांक 3-15/74/3/1 भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

प्रतिलिपि:—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

---

2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

---

3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षक)/लेखाधिकारी
   सचिवालय, भोपाल.

---

4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/समस्त उपसचिव
   के निजी सचिव/निजी सहायक.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 3-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 30 मई, 1977, 9 ज्येष्ठ, 1899

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश.

विषय:—परिवीक्षा काल पर नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में.

संदर्भ:—इस विभाग का दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 का ज्ञापन एफ. क्रमांक 3/15/74/3/1.

उपर्युक्त ज्ञापन के द्वारा यह सूचित किया गया था कि सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्तियां परिवीक्षा पर की जाएं एवं उनका वेतननिर्धारण मूलभूत नियमों के सामान्य प्रावधानों के अनुसार किया जाय. इस आदेश के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कई विभागों में कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है, अत: परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिये जारी किया जाता है:—

(1) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षा काल की अवधि पूरी होने पर स्थाई करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए. परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को स्थाईकरण के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि से, यदि स्थाई पद उपलब्ध हो, तो स्थाई करने के आदेश निकालना चाहिए. यदि उनको स्थाई करने के लिए स्थाई पद उपलब्ध न हों, तो उनके पक्ष में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है और उन्हें स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण ही परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके. भविष्य में जैसे ही उनके लिए स्थाई पद उपलब्ध होंगे, वैसे ही उन्हें स्थाई कर दिया जाएगा. इस प्रकार प्रमाण-पत्र देने का उद्देश्य यह है कि जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है. उन्हें स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण कर लेने पर भी स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके, तो उसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान न हो. अर्थात् प्रमाण-पत्र के आधार पर ही उन्हें परिवीक्षाकाल में रुकी हुई वार्षिक वेतनवृद्धियां, बकाया राशि के साथ दे दी जायें तथा भविष्य में भी उन्हें नियमित रूप से वार्षिक वेतनवृद्धियां मिलती रहें.

(2) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर स्थाई पद के अभाव में उपरोक्त नियम के

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

अनुसार प्रमाण-पत्र दिया जाता है, उन्हें भविष्य में स्थाई करने के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है. जब भी स्थाई पद उपलब्ध होते हैं, तब ऐसे सभी व्यक्तियों को, उनकी आपसी वरिष्ठताक्रम के अनुसार स्थाई करने के औपचारिक आदेश निकाल देना चाहिए. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि परिवीक्षा पर नियुक्त करने के आदेश जारी होने के पहले यदि उसी पद पर अस्थाई रूप से नियुक्तियां की गई हों, तो स्थाईकरण करते समय पूर्व में अस्थाई रूप से नियुक्त शासकीय सेवकों एवं परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्तियों को, जिन्हें स्थाईकरण के लिए उपयुक्त पाया गया हो, उनकी आपसी वरिष्ठताक्रम से, जो नियमानुसार निर्धारित की गई है, स्थाई करना चाहिए. जो व्यक्ति स्थाईकरण के लिए प्रथम अवसर पर उपयुक्त नहीं पाए जाते, उन्हें बाद में उपयुक्त पाए जाने पर स्थाई किया जाता है, तो वे उनसे पहले स्थाई किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ माने जायेंगे.

(3) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर स्थाईकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, नियुक्ति अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार परिवीक्षाकाल में एक वर्ष की वृद्धि कर सकता है. यदि किसी व्यक्ति को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर या परिवीक्षा काल में वृद्धि करने के पश्चात् भी स्थाईकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता, तो उसकी सेवाएं उक्त नियम के नियम 8(5) के अनुसार परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख से समाप्त करनी चाहिए.

(4) यदि किसी कारणवश उपर्युक्त पैरा (3) में उल्लिखित व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करने के आदेश नहीं निकाले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (7) का प्रावधान लागू होगा. यह उपनियम अपवाद स्वरूप ही किसी विशेष प्रकरण में लागू किया जाना चाहिए न कि सभी ऐसे व्यक्तियों के मामलों में, जिन्होंने परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया हो. इस श्रेणी के शासकीय सेवक उस पद पर परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख से अस्थाई रूप से नया नियुक्त शासकीय सेवक माने जायेंगे तथा उन्हें वेतन निर्धारण एवं वरिष्ठता के लिए परिवीक्षा काल में व्यतीत की गई पूर्व सेवा का लाभ नहीं मिलेगा.

2. सभी विभागों से निवेदन है कि आपके विभाग के अधीन सेवाओं में परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के मामले उपयुक्त अनुदेश के अनुसार निपटायें जायें, जहां तक संभव हो, परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थाई करने के लिए मामला परिवीक्षाकाल समाप्त होने के दो माह पूर्व ही विचार में लिया जाए, ताकि उनके सम्बन्ध में निर्णय परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि तक लिया जा सके.

3. जहां तक परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थाई पद के अभाव में उपर्युक्त नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतनवृद्धियां देने के निर्णय का सम्बन्ध है, यह आदेश वित्त विभाग से परामर्श लेकर निकाला गया है.

हस्ता./-

(जी. बैंकन्ना)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

एफ क्रमांक 3-6/77/3/1

भोपाल, दिनांक 30 मई 1977, 9 ज्येष्ठ, 1899

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, राज्य सर्तकता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

3. महालेखापाल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
उपसचिव.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

डी. क्रमांक 288/636/1(3) 79 भोपाल, दिनांक 6 जून, 1979

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन के संबंध में स्पष्टीकरण.

इस विभाग को दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना एफ. क्रमांक 3-15/74/3/1, के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन करके एक नया उपनियम (7) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से न तो स्थाई किया गया और न उसके पक्ष में उपनियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया या उपनियम (4) के अधीन उसे सेवा से उन्मोचित नहीं किया गया, तो वह व्यक्ति परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थाई शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा तथा उसकी सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस् (टेम्पररी एण्ड क्वासी परमानेंट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होगी.

2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ने शासन को सूचित किया है कि उनके पास कुछ व्यक्तियों के वेतन निर्धारण के मामलों में यह पाया गया कि परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति को, परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर उसे उपर्युक्त उप नियम (7) के अंतर्गत अस्थाई शासकीय सेवक मानकर उसे उसको परिवीक्षाकाल में नियुक्ति की तारीख से वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ देकर वेतन निश्चित किया गया है. महालेखाकार ने इस प्रकार के मामले में शासन से यह स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया कि:—

(1) क्या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना के द्वारा किया गया संशोधन उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दिनांक 9 दिसम्बर 1974 के पूर्व अपनी परिवीक्षा पूर्ण कर चुके थे किन्तु जिन्हें स्थाई नहीं किया है और न ही सेवा से पृथक् करने के आदेश प्रसारित किये है और न परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र किया गया है.

(2) जो शासकीय सेवक उपर्युक्त नियम के उपनियम (7) के अंतर्गत अस्थाई शासकीय सेवक माने गए है उनके संबंध में यह है कि उनकी परिवीक्षाकाल की अवधि वेतनवृद्धि के लिये गिनी जाएगी तथा वह परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख अपने वेतन के न्यूनतम वेतन से अपनी अस्थाई सेवा आरंभ करेंगे.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

3. महालेखाकार द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के संबंध में उन्हें यह सूचित किया गया है कि:—

(1) इस विभाग की दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना होने के पूर्व जिन व्यक्तियों का परिवीक्षाकाल समाप्त हो गया उनके मामले पर उपर्युक्त संशोधन लागू नहीं होगा. ऐसे उस समय विद्यमान नियमों के अनुसार ही निपटाये जाएंगे. उपर्युक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा किया गया संशोधन उन सभी परिवीक्षाधीन व्यक्तियों पर लागू होगा जो उक्त संशोधन के जारी होने की तारीख को निर्धारित किया गया परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं किये या जो उक्त संशोधन जारी होने के बाद परिवीक्षा पर नियुक्त किये गए है.

(2) जिन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की उक्त नियम के उप नियम ( ) के अंतर्गत परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थाई रूप से नियुक्त माना जाएगा उनको परिवीक्षाकाल में की गई सेवाओं का लाभ वेतनवृद्धि की पात्रता के लिए नहीं मिलेगा. परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से ही उसकी अस्थाई रूप से नियुक्ति होगी और उसके बाद एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही पहली वेतन वृद्धि की पात्रता मिलेगी.

4. सभी विभागों से निवेदन है कि वे शासन के उपर्युक्त स्पष्टीकरण अनुसार परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के मामलों का निराकरण करें.

हस्ता./-
(एल. एन. मीणा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

डी. क्रमांक 289/636/1(3)79 — भोपाल, दिनांक 6 जून, 1979

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण
   के निजी सचिव/निजी सहायक.
4. प्रतिलिपि महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को उनके द्वारा विशेष सचिव वित्त विभाग को संबोधित अर्ध-शासकीय पत्र क्रमांक टी. एम. 1/तीन/1(3), दिनांक 30-3-1979 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 147/380-1(3)80 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1980

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:—मूलभूत नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 (6) के अंतर्गत परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति के पक्ष में प्रमाण-पत्र के आधार पर स्थायी मानना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवक द्वारा सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो, तो स्थायी किया जाएगा अन्यथा उस व्यक्ति के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा कि उसे स्थायी पद उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थायी नहीं किया जा सकता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध होते ही उसे स्थायी कर दिया जाएगा. शासन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि जिस शासकीय सेवक के पक्ष में उपर्युक्त प्रकार प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, वह यदि किसी अन्य पद पर सीधी भरती के द्वारा नियुक्त किया जाए तो उसका मूलभूत नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण करने के लिये क्या उसे स्थाई माना जायगा या नहीं?

2. इस संबंध में शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी ऐसे शासकीय सेवक को, जिसके पक्ष में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, के नियम 8 के उप नियम (6) के अनुसार इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है कि उसे स्थायी पद उपलब्ध होते ही स्थायी कर दिया जाएगा तो किसी अन्य पद पर सीधी भरती के द्वारा नियुक्त किये जाने पर उसे मूल नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए स्थायी शासकीय सेवक माना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एल. एन. मीणा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

क्रमांक 148/380-1(3)80 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1980

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 मई, 1987

एफ. क्रमांक सी/3-4/87/3/1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"9. स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिए परीक्षण":—

(1) कोई व्यक्ति, जो पहले से ही स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाय, उन सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिए स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जाएगाः

परन्तु शासन यह घोषित कर सेकगा कि ऐसी सेवा या पद पर पूर्विक स्थानापन्नता की कालावधि को उस सीमा तक, जो कि किसी विशिष्ठ मामले में विनिर्दिष्ट की जाय, परीक्षण की कालावधि के प्रति गिना जा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि शासकीय कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर, नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती भी की जाती है, तो स्थानापन्नता की कालावधि उस परिवीक्षा की कालावधि के बराबर होगी जो कि नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के लिए विहित है.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, स्थानापन्नता की कालावधि को पर्याप्त कारणों से और एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा:

परन्तु यदि शासकीय सेवक उस पद पर नियुक्त किया जाता है जिस पर कि ऐसे पदों पर नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी नियुक्तियां की जाती है और नियमों में परिवीक्षा की कालावधि के विस्तार का उपबंध है तो वह कालावधि, जिस तक के लिये स्थानापन्नता की कालावधि और विस्तारित की जा सकेगी, उस कालावधि के बराबर होगी जिस तक के लिये नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती किये गये व्यक्ति की परिवीक्षा कालावधि विस्तारित की जाने योग्य है.

(3) यदि स्थानापन्नता की कालावधि या बढ़ाई गई स्थानापन्नता की कालवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर शासकीय सेवक उस सेवा या पद के लिये अनुपयुक्त पाया जाए, जिस पर कि उसे नियुक्त किया गया है तो

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

उसे उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा.

टिप्पणी.—विहित विभागीय परीक्षाएं, यदि कोई हों, ऐसी कालावधि के भीतर जो उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञात की जाय, उत्तीर्ण न करने पर शासकीय कर्मचारी को, उस सेवा या पद हेतु जिस पर कि वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, उसकी उपयुक्तता प्रदर्शित करने में असफल समझा जाएगा.

(4) यदि परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर, स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उस सेवा या पद के लिए जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उपयुक्त समझा जाय तो यदि स्थायी पद उपलब्ध है तो उसे उस सेवा या पद पर जिसमें उसे नियुक्त किया गया है स्थायी कर दिया जायेगा अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र उसके पक्ष में जारी किया जायेगा कि स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है उसे स्थायी कर दिया जायेगा.

(5) ऐसा कोई शासकीय कर्मचारी जिसे उपनियम (4) के अधीन न तो स्थायी किया गया है, न उसके पक्ष में प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और न ही उसे उपनियम (3) के अधीन उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है, उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेश पर्यन्त सेवा में बना रहा समझा जाएगा और ऐसी कालावधि के दौरान वह किसी भी समय अपनी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के दायित्वाधीन होगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTITICATION

Bhopal, the 7th May 1987

F. No. C-3-4/87/3/1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 9 the following rule shall be substituted, namely :—

"9. Trial For suitability of Officiating Government Servants.

(1) A person already in permanent Government service appointed to another service or post by direct recruitment, promotion or transfer shall ordinarily be appointed in an officiating capacity for a period of two years to as certain his suitability for the service or post:

Provided that the Government may declare that any previous officiation in such a service or post may be counted towards the period of trial to such extent as may be specified in the particular case:

Provided further that if the Government servant is appointed to a post to which direct recruitment is also made in accordance with the recruitment rules governing appointments to such post then the period of officiation shall be equal to the period of probation prescribed for a person appointed by direct recruitment to the said post under the rules.

(2) The appointing authority may for sufficient reasons extend the period of officiation by a further period not exceeding one year:

Provided that if the Government Servant is appointed to a post to which direct recruitment is also made in accordance with the Recruitment Rules governing appointments to such posts and the Rules provide for extension of the period of probation then the period by which the period of officiation may be further extended shall be equal to the period by which the period of probation is extendable for a person appointed by direct recruitment to the said post under the Rules.

(3) If during or at the end of the period of officiation or extended period of officiation, the Government Servant is found unsuitable for the serivce or post to which he has been appointed he shall be reverted to his former substantive service or post.

Note:—The failure to pass the prescribed departmental examinations, if any, within such period as may be allowed for the purpose may be construed as failure to show fitness for the service or post in which the Government servant is officiating.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

(4) If at the end of the period of the trial the officiating Government servant is considered suitable for the service or post to which he has been appointed he shall, if there is a permanent post available, be confirmed in the service or post to which he has been appointed; otherwise a certificate shall be issued in his favour by the appointing authority to the effect that the officiating Government Servant would have been confirmed but for the non-availability of the permanent post and that as soon as a permanent post becomes available he will be confirmed.

(5) An officiating Government servant, who has neither been confirmed, nor a certificate has been issued in his favour under sub-rule (4) nor reverted to his former substantive service or post under sub-rule (3) shall, notwithstanding anything contained in sub-rule (2), be deemed to have been continued in officiating capacity till further orders and during such period he shall at any time be liable to be reverted to his substantive service or post."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Sd./-
(K. N. SHRIVASTAVA)
Deputy Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
General Administration Department.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ. क्र. सी-3-4/87/3/1 भोपाल, दिनांक 10 जून, 1987

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 9 में किसी पद पर पदोन्नति या स्थानान्तर से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को परीक्षण पर रखने तथा परीक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर स्थायी करने की व्यवस्था थी, परन्तु उक्त नियम में परीक्षण की अवधि कितनी होनी चाहिए, स्थानापन्नता की अवधि को आवश्यक होने पर कितनी अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा और परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त व्यक्तियों को स्थायी करने के लिए स्थायी पद उपलब्ध न होने की स्थिति में कोई प्रमाण-पत्र देने का प्रावधान नहीं था. इस प्रकार का प्रावधान न होने से नियमों के निर्वचन में एकरूपता नहीं थी एवं कई प्रशासनिक कठिनाईयां आती थीं. अतः उक्त नियमों में उपरोक्त व्यवस्था का प्रावधान करने हेतु दिनांक 7 मई 1987 के असाधारण राजपत्र द्वारा आवश्यक संशोधन किए गए हैं. उपर्युक्तानुसार किए गए संशोधन के फलस्वरूप अब पदोन्नति अथवा स्थानांतर से नियुक्त किए गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नानुसार कार्यवाही आवश्यक होगी:—

(i) इस प्रकार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक को सामान्यत: दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षण पर नियुक्त किया जाएगा. यदि सम्बन्धित पद को प्रौढ़ सेवा भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी भरा जाता है तो स्थानापन्नता (परीक्षण) की अवधि उस परिवीक्षा की अवधि के बराबर होगी जो नियमों के अनुसार सीधी भरती से नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित है;

(ii) स्थानापन्नता (परीक्षण) की कालावधि आवश्यक होने पर पर्याप्त कारणों से अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी;

(iii) परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर एवं संबंधित शासकीय सेवक के उपयुक्त पाए जाने पर उसे स्थायी किया जाएगा किन्तु यदि स्थायी पद उपलब्ध न हों तो संबंधित शासकीय सेवक के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा कि "स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जाएगा."

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

2. उपर्युक्तानुसार दिनांक 7 मई, 1987 को राजपत्र में अधिसूचित, संशोधन की अधिसूचना संलग्न करते हुए निवेदन है कि इसमें उल्लिखित प्रावधानों को ठीक से पढ़कर समझ लिया जाये और इनके अनुसार कार्यवाही का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. एफ. क्र. सी-3-4-8-3-1 भोपाल, दिनांक 10 जून, 1987.

प्रतिलिपिः—

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल, म. प्र. भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. मुख्यमंत्री जी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/
   निज सहायक की ओर सूचनार्थ.
4. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव (समस्त) सा. प्र. वि.
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय, भोपाल.

हस्ता./-
(आर. सी. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

[मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण) दिनांक 25 अक्टूबर 1996 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 1996

एफ. क्र. सी-3-17-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-6 के उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चिय होने तक लंबित रखा जायेगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्डया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 1996

क्र. सी-3-17-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-17-96-3-एक, दिनांक 25 अक्टूबर 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्डया, अपर सचिव.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

Bhopal, the 25th October 1996

F. No. C-3-17-96-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following an amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (3) of rule-6, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has been convicted of an offence against women :

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Criminal Case."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. C. PANDYA, Addl. Secy.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

[मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण), दिनांक 2 अप्रैल 1998 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998

क्र. एफ. सी-3-84-92-3-एक.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

12. **वरिष्ठता.**—किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जावेगी, अर्थात्:—

1. **सीधी भर्ती किए गए तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता.**—(क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पदग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यताक्रम के आधार पर अवधारित की जाएगी जिसमें नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की गई है, पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे.

(ख) जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिए उनकी सिफारिश की जाती है.

(ग) जहां पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं तो उसी समय पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था.

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख, से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जाएगी.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

(ङ) सीधे भर्ती किए गए तथा पदोन्नति किए गए व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किए जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जाएगी:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी.

(च) यदि किसी सीधी भर्ती की परिवीक्षा की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिए जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे, निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिए.

(छ) यदि सीधी भरती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लॉक) सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे.

2. **स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता.**—(क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानान्तरणों के लिए उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी.

(ख) जहां कोई व्यक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानान्तरण के लिए उपबंधित भर्ती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसा स्थानान्तरित व्यक्ति यथास्थिति सीधी भर्ती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा, तथा उसे यथास्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जाएगा.

(ग) ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहां संगत भर्ती नियमों में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण" की व्यवस्था हो) किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियत किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यत: उसके संविलियन की तारीख से की जावेगी. तथापि, यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो तो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अध्यधीन ध्यान में रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद में हो, नियुक्त किया गया था.

स्पष्टीकरण.—तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किए गए अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे संविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा.

(3) **विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता.**—(क) ऐसे मामलों में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद में कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि ... ए हो तथा यह

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा उच्च समय मान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी, जैसी कि उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होती.

(ख) ऐसे मामलों में जहां कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जा सकेगी.

(ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे.

(घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिए अलग-अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि—

(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिये न चुना गया हो तथा;

(दो) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिए अनुमोदन न किया गया हो.

4. **तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता.**—(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं को नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जाएगी.

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियमों के अनुसार सेवा में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998

क्र. सी-3-84-92-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3-84-92-3-एक, दिनांक 2 अप्रैल, 1998 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

Bhopal, the 2nd April 1998

No. F. 8-C-3-84-92-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules, for rule 12 the following rule shall be substituted namely :—

12. **Seniority.**—The seniority of the members of a service or a distinct branch or group of posts of that service shall be determined in accordance with the following principles, *viz*—

(1) **Seniority of Direct Recruits and Promotees.**—(a) The Seniority of persons directly appointed to a post according to rules shall be determined on the basis of the order of merit in which they are recommended for appointment irrespective the date of joining. Persons appointed as a result of an earlier selection shall be senior to those appointed as a result of a subsequent selection.

(b) Where promotions are made on the basis of selection by a Departmental Promotion Committee, the seniority of such promotees shall be in the order in which they are recommended for such promotion by the Committee.

(c) Where promotions are made on the basis of seniority subject to rejection of the unfit, the seniority of persons considered fit for promotion at the same time shall be the same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted. Where however a person is considered as unfit for promotion and is superseded by a junior, such person shall not, if subsequently found suitable and promoted, take seniority in the Higher grade over the junior persons who had superseded him.

(d) The seniority of a person whose case was deferred by the Departmental Promotion Committee for lack of Annual Character Rolls or for any other reasons but subsequently found fit to be promoted from the date on which his junior was promoted. Shall be counted from the date of promotion of his immediate junior in the select list or from the date on which he is found fit to be promoted by the Departmental Promotion Committee.

(e) The relative seniority between direct recruits and promotees shall be determined according to the date of issue of appointment/promotion order :

Provided that if a person is appointed/promoted on the basis of roster earlier than his senior, seniority of such person shall be determined according to the merit/select/fit list prepared by the appropriate authority.

(f) If the period of probation of any direct recruit or the testing period of a promotee is extended, the appointing authority shall determine whether he should be assigned

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

the same seniority as would have been assigned to him if he had completed the normal period of probation/testing period successfully, or whether he should be assigned a lower seniority.

(g) If orders of direct recruitment and promotion are issued on the same date, promotee persons enblock shall be treated as senior to the direct recruitees.

(2) **Seniority of Transferees.—**(a) The relative seniority of persons appointed by transfer form one department of another department of the State Government shall be determined in accordance with the order of their selection for such transfer.

(b) Where a person is appointed by transfer in accordance with the provisions in the Recruitment Rules, providing for such transfer in the envent of non availability of suitable candidates by direct recruitment or promotion, such transferee shall be grouped with direct recruits or promotees, as the case may be, and he shall be ranked below all direct recruits or promotees, as the case may be, selected on the same occasion.

(c) In the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later (i.e. where the relevant recruitment rules provide for "transfer on deputation/transfer") his seniority in the grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of absorption. If he has however been holding already (on the date or absorption) the same or equivalent grade on regular basis, in his parent department, such regular service in the grade shall also be taken into account in fixing his seniority, subject to the condition that he will be given seniority, from the date he has been holding the post on deputation or the date from which he has been appointed on a regular basis to the same or equivalent grade in his present department whichever is later.

Explanation.—The fixation of seniority of a transferee in accordance with the above rule will not however affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption. In other words it will be operative only in filling up of vacancies in higher grade taking place after such absorption.

(3) **Seniority in special types of cases.—**(a) In case where a penalty of reduction to a lower service, grade or post is imposed on a Government servant and such reduction is for a specified period and is not to operate to postpone future increments, the Seniority of the Government servant may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed in the higher service, grade or post or the higher time scale at what it would have been but for his reduction.

(b) Where the reduction is for a specified period and is to operate to postpone future increments, the seniority of the Government servant on repromotion may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed by giving credit for the period of service rendered by him in the higher service, grade or post or higher time scale.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

(c) The surplus employees shall not be entitled for the benefit of the past service rendered in the previous office for the purpose of their seniority in the new office and such employees shall be treated as fresh entrants in the matter of their seniority.

(d) When two or more surplus employees of a particular grade in an office are selected on different dates for absorption in a grade in another, office their *inter-se-seniority* in the latter office shall be the same as in their previous office provided that,—

(i) no direct recruit has been selected for appointment to that grade in between these dates, and

(ii) no promotee has been approved for appointment to that grade in between these dates.

4. **Seniority of Adhoc employees.**—(a) A person appointed on adhoc basis shall not get any seniority till the regularisation of his services.

(b) If a person is appointed on adhoc basis by substantially following the procedure laid down by the Recruitment Rules and the appointee continues in the post uninterruptedly till the regularisation of his service in accordance with the rules, the period of officiating service shall be counted for seniority.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. M. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

मध्यप्रदेश सिविल सेवा [सेवा की सामान्य शर्तें] नियम, 1961 का पूर्व नियम 12

12. **वरिष्ठता.**—किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या पद समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) सीधे भरती किए गये व्यक्ति

(एक) सीधी भरती द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता, उसकी परिवीक्षा के दौरान, उसकी नियुक्ति की तारीख से मानी जाएगी:

परन्तु यदि एक से अधिक व्यक्तियों का परिवीक्षा पर नियुक्ति के लिये चयन एक ही समय किया गया हो तो इस प्रकार चयन किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उन मामलों में, जिनमें आयोग से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्तियां की जाती हों, उस योग्यता-क्रम के अनुसार होगी जिस क्रम के अनुसार आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु उनकी सिफारिश की गई हो, तथा अन्य मामलों में चयन के समय नियुक्ति प्राधिकृत द्वारा अवधारित योग्यता-क्रम के अनुसार होगी.

(दो) सीधी भरती द्वारा नियुक्त किये गये ऐसे व्यक्तियों के स्थायी किये जाने पर भी पारस्परिक वरिष्ठता का यही क्रम रखा जाएगा यदि उनके स्थायीकरण का आदेश परिवीक्षा की सामान्य अवधि की समाप्ति पर दिया जाए. तथापि, यदि सीधी भरती द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो नियुक्ति प्राधिकारी यह बात अवधारित करेगा कि उसे वही वरिष्ठता प्रदान की जाए जो उसे परिवीक्षा की सामान्य अवधि की समाप्ति पर स्थायी किये जाने पर प्रदान की जाती अथवा उसे कोई निम्न वरिष्ठता प्रदान की जाए.

(ख) पदोन्नत शासकीय कर्मचारी

''पदोन्नत शासकीय कर्मचारी अपनी वरिष्ठता की गणना, जिस सेवा में उसे पदोन्नत किया गया हो, उसमें उसके स्थायीकरण की तारीख से करेगा तथा पदक्रम-सूची में उसका नाम उस सेवा के अन्तिम स्थायी सदस्य के नाम के ठीक नीचे, किन्तु समस्त परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के नामों के ऊपर लिखा जाएगा:

परन्तु जब दो या दो से अधिक पदोन्नत शासकीय कर्मचारी एक ही तारीख से स्थायी किये गये हों, तो नियुक्ति प्राधिकारी उस सेवा में जिसमें उन्हें स्थायी किया गया हो, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता, एक तो उस क्रम का, जिसमें उनके नाम ऐसी योग्यता सूची में, यदि कोई हो, लिखे हों, जो उनकी पदोन्नति हेतु उपयुक्तता अवधारित करने के लिये तैयार की गई हो और दूसरे उस निम्न सेवा में, जिससे वे पदोन्नत किये गये हों, उनकी सापेक्ष वरिष्ठता का यथोचित ध्यान रखते हुए निश्चित करेगा.''

(ग) स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी

(किसी उच्च सेवा में या पदों के किसी उच्च प्रवर्ग में स्थानापन्न के रूप में कार्य करने के लिये पदोन्नत शासकीय कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनकी स्थानापन्नता की अवधि के दौरान वही रहेगी, जो कि उनकी मूल सेवा या ग्रेड में रही

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

हो चाहे उच्च सेवा या ग्रेड में उन्होंने स्थानापन्न के रूप में किन्हीं भी तारीखों से कार्य रंभ किया हो—

परन्तु ;

(एक) यदि स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये उनका चयन किसी ऐसी सूची से किया गया हो, जिसमें उच्च सेवा या ग्रेड में परीक्षण के बतौर कार्य करने के लिये या पदोन्नत के लिये उपयुक्त समझे गये शासकीय कर्मचारियों के नाम योग्यता-क्रम से दिये गये हों तो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता ऐसी सूची में दिये गये उनके योग्यता-क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी;

(दो) किसी ऐसे स्थायी शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता, जिसे अन्य सेवा या पद पर स्थानान्तरण द्वारा स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया गया हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तदर्थ रूप से अवधारित की जाएगी:

परन्तु ऐसे शासकीय कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित वरिष्ठता अवधारित की जाएगी और विमुक्ति के आदेश में उसे सूचित की जायगी;

(तीन) जब किसी स्थायी शासकीय कर्मचारी को किसी निम्न सेवा, ग्रेड या पद-प्रवर्ग में पदावनत कर दिया जाए तो उसका नाम बाद की सेवा, ग्रेड या पद-प्रवर्ग की पदक्रम सूची में दिये गये सभी व्यक्तियों के नामों के ऊपर तब तक रखा जाएगा जब तक कि ऐसी अवनति का आदेश देने वाला प्राधिकारी किसी विशेष आदेश द्वारा ऐसे पदावनत शासकीय कर्मचारी के लिये पदक्रम सूची में कोई भिन्न स्थान सूचित न करें;

(चार) जब किसी स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उसकी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाए तो वह, उसकी मूल नियुक्ति, जिस पर वह अन्य सेवा या पद पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाने के पहले रहा हो, से संबंधित पदक्रम सूची में उसका जो स्थान रहा हो उस स्थान पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा.

GCPB—1029—DSGAD—3-8-99—1,000

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.-2
डब्ल्यू. पी./505/2000.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 108/भोपाल/2000.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2000—फाल्गुन 20, शक 1921

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क्र. एफ. सी. 3-3-2000-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 के उप नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(5) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो; किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.

(6) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क्र. सी-3-3-2000-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-3-2000-3-एक, दिनांक 10 मार्च 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, उपसचिव.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E: ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

Bhopal, the 10th March 2000

No. F. C. 3-3-2000-3-EK.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (4) of rule 6 the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(5) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has married before the minimum age fixed for marriage.

(6) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2000

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E-ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.भु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 फरवरी 2005—माघ 27, शक 1926

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2005

क्र. सी-3-1-2004-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ग) में,—

(1) शब्द "वर्तमान विभाग" के स्थान पर, "मूल विभाग" स्थापित किए जाएं.

यह संशोधन 2 अप्रैल, 1998 से प्रवृत्त हुआ, समझा जाएगा.

(2) शब्द "जो भी बाद में हो" के स्थान पर, शब्द "जो भी पूर्वतर हो" स्थापित किए जाएं.

यह संशोधन 14 दिसम्बर, 1999 से प्रवृत्त हुआ, समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एन. एस. भटनागर, अपर सचिव.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2005

क्र. सी-3-1-2004-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-सी-3-1-2004-3-एक, दिनांक 16 फरवरी, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, अपर सचिव.

Bhopal, the 16th February, 2005

No. C-3-1-2004-3-Ek.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in clause (c) of sub-rule (2) of rule 12,—

(1) for the words "present department" the words "parent department" shall be substituted.

This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 2nd April, 1998.

(2) for the words "whichever is later" the words "whichever is earlier" shall be substituted.

This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 14th December, 1999.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. S. BHATNAGAR, Addl. Secy.

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

सहायक प्राध्यापक परीक्षा - 2017

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 07/2017/ 12.12.2017
उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की
अंतिम तिथि 24.01.2018

महत्वपूर्ण

1- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेगे. आवेदन पत्र दिनांक 25.12.2017 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 24.01.2018 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

हेल्पलाइन :- 0755-4019400

2- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें । ऑनलाइन आवेदनपत्रों में 30.12.2017 से 26.01.2018 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा ।

3- ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएगें तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।

4- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहे ।

5- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

बैकलाग पद :-

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी नि:शक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		SC	ST	OBC	कुल	SC	ST	OBC	अ.बा.	ह.बा.	श्र.बा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	वनस्पति शास्त्र	0	9	0	9	0	3	0	0	0	0
2	रसायन शास्त्र	4	36	0	40	1	12	0	0	3	2
3	वाणिज्य	37	53	0	90	12	17	0	3	5	4
4	नृत्य	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0
5	अर्थशास्त्र	24	62	4	90	8	20	1	2	4	3
6	अंग्रेज़ी	24	58	17	99	8	19	6	2	5	5
7	भूगोल	3	3	0	6	1	1	0	0	0	0
8	भूगर्भशास्त्र	4	4	1	9	1	1	0	0	0	0
9	हिंदी	30	40	5	75	10	13	2	2	5	5
10	गृह विज्ञान	11	16	0	27	4	5	0	2	2	2
11	विधि	13	14	2	29	4	5	1	1	1	1
12	गणित	9	38	0	47	3	13	0	1	2	2
13	सैन्य विज्ञान	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
14	संगीत	2	2	0	4	1	1	0	0	0	0
15	दर्शनशास्त्र	3	4	1	8	1	1	0	0	0	0
16	भौतिक शास्त्र	4	2	0	6	1	1	0	2	2	2
17	राजनीति शास्त्र	24	47	8	79	8	16	3	0	4	4
18	मनोविज्ञान	0	6	0	6	0	2	0	0	0	0
19	लोक प्रशासन	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
20	समाजशास्त्र	24	33	0	57	8	11	0	1	3	3
21	उर्दू	3	3	0	6	1	1	0	0	0	0
22	प्राणी शास्त्र	0	14	0	14	0	5	0	0	2	0
	योग	**221**	**447**	**39**	**707**	**72**	**147**	**13**	**17**	**38**	**33**

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

पदोन्नति/ सेवा निवृत्ति से रिक्त पद

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी नि:शक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		UR	SC	ST	OBC	कुल	UR	SC	ST	OBC	अ.बा.	इ.बा.	श्र.बा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	एक्वाकल्चर	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	अरबी	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	जीव रसायन	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
4	वनस्पति शास्त्र	17	0	24	33	74	6	0	8	11	3	4	5
5	रसायन शास्त्र	4	4	15	47	70	1	1	5	16	2	5	6
6	वाणिज्य	25	2	9	28	64	8	1	3	9	3	5	4
7	अपराधशास्त्र	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	नृत्य	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
9	चित्रकला	1	0	3	3	7	0	0	1	1	0	0	0
10	अर्थशास्त्र	15	3	8	38	64	5	1	3	13	0	4	3
11	अंग्रेज़ी	4	5	11	36	56	1	2	4	12	3	4	4
12	भूगोल	16	3	6	11	36	5	1	2	4	2	3	3
13	भूगर्भशास्त्र	0	0	0	3	3	0	0	0	1	0	0	0
14	हिंदी	0	4	2	45	51	0	1	1	15	3	3	5
15	इतिहास	27	1	10	30	68	9	0	3	10	1	2	5
16	इतिहास (प्राचीन)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17	गृह विज्ञान	0	0	0	10	10	0	0	0	3	1	2	2
18	ज्योतिष	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	विधि	58	1	13	10	82	19	0	4	3	1	2	2
20	गणित	20	5	8	17	50	7	2	3	6	0	3	2
21	सैन्य विज्ञान	3	1	2	2	8	1	0	1	1	0	0	0
22	दर्शनशास्त्र	1	0	2	3	6	0	0	1	1	0	0	0
23	भौतिक शास्त्र	22	0	34	29	85	7	0	11	10	2	3	3
24	राजनीति शास्त्र	17	11	7	41	76	6	4	2	14	2	4	4
25	मनोविज्ञान	0	0	0	4	4	0	0	0	1	0	0	0
26	संस्कृत	16	0	0	11	27	5	0	0	4	0	2	1
27	संस्कृत ज्योतिष	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
28	संस्कृत प्राच्य	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
29	संस्कृत साहित्य	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
30	संस्कृत व्याकरण	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
31	समाजशास्त्र	0	11	16	32	59	0	4	5	11	2	3	3
32	सांख्यिकी	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
33	उर्दू	10	4	6	2	22	3	1	2	1	0	1	1
34	वेद	2	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0
35	प्राणी शास्त्र	21	8	15	42	86	7	3	5	14	3	3	3
36	संगीत गायन	0	1	1	2	4	0	0	0	1	0	0	0
	योग	290	67	199	484	1040	91	21	64	162	28	53	56

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

नवीन सृजित पद :

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		UR	SC	ST	OBC	कुल	UR	SC	ST	OBC	अ.बा.	द.बा.	श्र.बा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	वनस्पति शास्त्र	48	15	19	13	**95**	16	5	6	4	2	5	4
2	रसायन शास्त्र	92	29	37	26	**184**	30	10	12	9	4	6	5
3	ऑर्गेनिक रसायन	2	0	1	0	**3**	1	0	0	0	0	0	0
4	भौतिक रसायन	2	0	0	0	**2**	1	0	0	0	0	0	0
5	वाणिज्य	48	15	19	13	**95**	16	5	6	4	4	4	4
6	अर्थशास्त्र	34	11	13	9	**67**	11	4	4	3	1	2	3
7	अंग्रेज़ी	54	17	22	15	**108**	18	6	7	5	2	2.	2
8	भूगोल	20	6	8	6	**40**	7	2	3	2	1	1	1
9	हिंदी	52	16	20	14	**102**	17	5	7	5	2	2	3
10	इतिहास	39	12	15	11	**77**	13	4	5	4	2	2	2
11	विधि	29	9	12	8	**58**	10	3	4	3	1	1	1
12	गणित	35	11	14	10	**70**	12	4	5	3	0	3	3
13	भौतिक शास्त्र	65	21	26	18	**130**	21	7	9	6	3	4	5
14	राजनीति शास्त्र	30	9	12	8	**59**	10	3	4	3	1	2	3
15	समाजशास्त्र	22	7	9	6	**44**	7	2	3	2	1	3	3
16	प्राणी शास्त्र	44	14	17	12	**87**	15	5	6	4	4	3	3
	योग	**616**	**192**	**244**	**169**	**1221**	**205**	**65**	**81**	**57**	**28**	**40**	**42**

दो - पद का विवरण

(A) **विभाग का नाम** : **मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग**

(B) **श्रेणी** : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(C) **पद स्थिति** : स्थायी

(D) **वेतनमान** : रुपये 15600-39100 + एजीपी 6000

(E) **कर्तव्य** : शैक्षणिक कार्य

(F) **पद का नाम** : **सहायक प्राध्यापक** (Assistant Professor)

(G) **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता** : (i) किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड- जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहां पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो-तदनुसार एक पाइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो-किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो-अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कोई समतुल्य डिग्री।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है-अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा-अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि।

टीप- मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अन्य राज्यों के सेट/स्लेट सफल अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

(iii) उपरोक्त उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है- इस सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन-2009 के अनुरूप **पीएच.डी. डिग्री** प्रदान हुई हैं अथवा बाद में ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है। (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि **पीएच.डी.** प्रदान करने के लिए है)-ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी- जो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है। तथापि, दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एम.फिल./ पीएचडी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए **पंजीकृत अभ्यर्थियों** को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और **पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को** निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:-

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गयी हो

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों

(ड.) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो

उपर्युक्त (क) से (ड.) को कुलपति/ सम-कुलपति/ संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

टीप मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 05 दिसंबर 2017 के पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि:

11 जुलाई 2009 के पूर्व पंजीकृत तथा 11 जुलाई 2009 के पश्चात नियमन लागू होने के दिनांक तक पी.एच.डी. प्राप्त अभ्यर्थियों की उपाधि पर भी उपरोकतानुसार अर्हता मान्य होगी। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/स्लेट/सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते है-उनके लिए नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।

(v) यूजीसी का राजपत्र प्रकाशन अधिसूचना दिनांक 4 मई 2016 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विभिन्न शारीरिक [illegible] वाली

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDW
AJ11@GMAIL.COM,

(शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर किसी भी "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गयी है-वे अनुमत होंगी-जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेंगी-और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

(vi) साथ ही ऐसे पीएच.डी. धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए-55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

टीप:- 01 सभी विज्ञापित विषयों मे नेट/स्लेट की परीक्षा या तो मूल विषय के नाम से अथवा तत्संबंधी यूजीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को मान्य किया जाएगा जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1 दिनांक 15/11/2017)

क्र.	विषय	यूजीसी नेट में अंकित विषय	क्र.	विषय	यूजीसी नेट में अंकित विषय
1	एक्वाकल्चर	लाईफ साइंस	21	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान
2	रसायन शास्त्र	केमिकल साइंस	22	लोक प्रशासन	लोक प्रशासन
3	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र	23	संगीत	संगीत
4	आर्गनिक रसायन	केमिकल साइंस	24	संगीत गायन	संगीत
5	फिजिकल रसायन	केमिकल साइंस	25	हिन्दी	हिन्दी
6	भूगर्भ शास्त्र	अर्थ साइंस	26	संस्कृत	संस्कृत
7	राजनीति शास्त्र	राजनीति शास्त्र	27	उर्दू	उर्दू
8	वनस्पति शास्त्र	लाईफ साइंस	28	अरबी	अरबी
9	जीव रसायन	लाईफ साइंस	29	अँग्रेजी	अँग्रेजी
10	दर्शनशास्त्र	दर्शनशास्त्र	30	विधि	विधि
11	मनोविज्ञान	मनोविज्ञान	31	अपराध शास्त्र	अपराध शास्त्र
12	प्राणी शास्त्र	लाईफ साइंस	32	ज्योतिषि	संस्कृत ट्रेडीशनल सब्जेक्ट
13	गणित	मैथमेटिकल साइंस	33	संस्कृत ज्योतिषि	
14	सांख्यिकी	मैथमेटिकल साइंस	34	संस्कृत प्राच्य	
15	भौतिक शास्त्र	फिजिकल साइंस	35	संस्कृत व्याकरण	
16	समाजशास्त्र	समाजशास्त्र	36	संस्कृत साहित्य	
17	इतिहास	इतिहास	37	वेद	
18	इतिहास-प्राचीन	इतिहास	38	चित्रकला	विजुअल आर्ट्स
19	वाणिज्य	वाणिज्य	39	भूगोल	भूगोल
20	सैन्य विज्ञान	डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टेडिज़	40	नृत्य	परफ़ार्मिंग आर्ट्स

02 मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 28.11.2017 द्वारा निम्न विषयों के संबन्धित सहविषयों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रं.	विषय	सह विषय (Allied Subject)
1	वनस्पतिशास्त्र (Botany)	1. सूक्ष्म जीवविज्ञान (Micro Biology) 2. जैव प्रोद्योगिकी (Bio Technology) 3. जीव विज्ञान (Bio Science) 4. पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science) 5. फारेस्ट्री (Forestry) 6. बायोकेमिस्ट्री (Bio Chemistry) 7. जैव सूचना विज्ञान (Bio Informatic Science)

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

		8. आनुवंशिकी (Genetics)
2	वाणिज्य (Commerce)	1. लेखांकन (Accountancy) 2. प्रबंधन (Management) 3. लेखा प्रबंधन (Accounts Management)
3	अर्थशास्त्र (Economics)	1. एम. बी. ई. (Master of Business Economics) 2. व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics)
4	भूगोल (Geography)	1. समुद्र विज्ञान (Oceanography) 2. मौसम विज्ञान (Meterology)
5	भूगर्भशास्त्र (Geology)	1. एप्लाईड जियोलाजी (Applied Geology) 2. पैलेन्टोलाजी (Palaentology) 3. जियो फिजिक्स (Geophysics) 4. भू-विज्ञान (Earth Science) 5. रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing)
6	हिन्दी (Hindi)	1. भाषा विज्ञान (Linguistics) 2. अनुवाद विज्ञान (Translation Science)
7	इतिहास (History)	1. आधुनिक इतिहास (Modern History) 2. मध्यकालीन इतिहास (Medieval History) 3. प्राचीन इतिहास (Ancient History)
8	गणित (Mathematics)	1. कम्प्यूटेशनल मैथेमेटिक्स (Computation Mathematics) 2. व्यावहारिक गणित (Applied Mathematics) 3. औद्योगिक गणित (Industrial Maths) 4. इंजीनियरिंग मैथ्स (Engineering Maths) 5. सांख्यिकी (Statistics) 6. मैथेमेटिकल साईन्स (Mathemetical Science)
9	भौतिकशास्त्र (Physics)	1. व्यावहारिक भौतिकी (Applied Physics) 2. पदार्थ विज्ञान (Material Science) 3. इलेक्ट्रानिक्स (Electronics)
10	राजनीतिशास्त्र (Political Science)	1. लोक प्रशासन (Public Administration) 2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relation)
11	मनोविज्ञान (Psychology)	1. चिकित्सकीय मनोविज्ञान (Clinical Psychology)
12	समाजशास्त्र (Sociology)	1. सोशल वर्क (Social Work) 2. मानवशास्त्र (Anthropology)
13	प्राणीशास्त्र (Zoology)	1. मत्स्य विज्ञान (Fisheries) 2. एक्वाकल्चर (Aquaculture) 3. पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science) 4. बायोकेमिस्ट्री (Biochemistry) 5. सरोवर विज्ञान (Limnology) 6. कीट विज्ञान (Entomology) 7. जैव प्रौद्योगिकी (Bio-Technology) 8. जीव विज्ञान (Bio Science) 9. आनुवंशिकी (Genetics) 10. जैव सूचना विज्ञान (Bio-Informatics)
14	रसायन शास्त्र (Chemistry)	1. व्यावहारिक रसायनशास्त्र (Applied Chemistry) 2. पर्यावरण रसायनशास्त्र (Environmental Chemistry) 3. फार्मास्युटिकल रसायन (Pharmaceutical Chemistry) 4. भौतिक रसायन (Physical Chemistry)

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

		5. कार्बनिक रसायन (Organic Chemistry) 6. अकार्बनिक रसायन (Inorganic Chemistry) 7. औद्योगिक रसायन (Industrial Chemistry) 8. विश्लेषणात्मक रसायन (Analytical Chemistry)
15	संस्कृत (Sanskrit)	1. योगा (Yoga)

(1) कालम (2) में उल्लेखित विषयों के सह विषय कालम (3) में दिये गए है तथा कालम (2) में उल्लेखित विषयों हेतु कालम (3) के विषयों से संबन्धित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है ।

(2) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के सहविषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते है, को किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

(3) परीक्षा का आयोजन मुख्य विषय में ही किया जाएगा

(H) आयु सीमा: **मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु** :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों हेतु :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 28 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/3-1, दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार)

(I) आयु संगणना तिथि 01.01.2018

तीन (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हतायें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **24.01.2018** तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के पूर्व तक वृद्धि की जा सकेगी। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(iv) **किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगें।**

(v) **सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु पद विवरण में दर्शाये अनुसार निःशक्त श्रेणी हेतु आरक्षण तथा छूटों की पात्रता रहेगी । न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक निःशक्त अभ्यर्थी ही आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगें।**

(vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है तथा अन्य प्रदेशों के निःशक्तजन तथा महिला अभ्यर्थी आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।

(vii) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट -1 देखें।

चार **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।**

छ: **अधिवार्षिकी आयु :- 65 वर्ष**

सात **चयन प्रक्रिया :-**

(1) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों तथा यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों/ मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तपोषित राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक संकायों की अध्ययन शालाओं में अतिथि विद्वान है तो इस रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु अभिलेख परीक्षण के लिए सफल घोषित किया जायेगा। ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस प्रकार उनके लिये लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3) अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात जो अभ्यर्थी अर्ह पाये जायेंगे केवल उन्हें ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी आवेदकों को आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in ,www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर सूचित किया जायेगा।

(4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।

(5) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**

ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की योजना हेतु परिशिष्ट-4 देखें। ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com. पर उपलब्ध है जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है।

ऑनलाइन परीक्षा की तिथि एवं तत्सम्बंधी व्यवस्था यथासमय "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com. पर प्रकाशित किया जाएगा।

आठ **ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की तिथि तथा केंद्र :- ऑनलाइन परीक्षा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना तथा उज्जैन** स्थित निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी । आवेदकों की संख्या तथा प्रशासकीय कारणों से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है की अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित शहर केंद्र ही आबंटित किया जावे। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से पृथक केंद्र भी आबंटित किया जा सकेगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

ऑनलाइन परीक्षा की समय सारिणी तथा तथा अन्य आवश्यक जानकारियां यथासमय **"रोजगार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com, पर उपलब्ध कराई जाएगी।

नौ **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट -2** का अवलोकन करें।

दस अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

ग्यारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देंखें :-

(i) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट -1**

(ii) मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों हेतु देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट की व्यवस्था **परिशिष्ट -2**

(iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट -3**

(iv) परीक्षा योजना हेतु **परिशिष्ट -4**

(v) ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश **परिशिष्ट-5**

सचिव

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

उच्चतर आयु सीमा में देय छूटें

(1) **मध्य प्रदेश शासन** , उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-12/2017/38-1, दिनांक 14.08.2017 द्वारा आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(1) उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में केवल एक बार के लिए 03 वर्ष की निम्नानुसार छूट दी जावे :-

1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40+3 = 43 वर्ष
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/नि:शक्तजन)	45+3 = 48 वर्ष

(2) **मध्य प्रदेश के उन मूल निवासी** अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा जिन्होंने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है, को अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्रति अकादमिक सत्र एक वर्ष के मान से निर्धारित आयु सीमा में निम्नानुसार अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावे :-

1.	पुरुष अनारक्षित वर्ग के लिए	40+5 = 45 वर्ष
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/नि:शक्तजन)	45+5 = 50 वर्ष
अतिथि विद्वानों के लिए यह छूट कंडिका 1 में दी गयी छूट के अलावा नहीं होगी ।		

मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग परिपत्र क्रमांक 969/एफ 1-9/2016/38-1, दिनांक 08.08.2016 के अनुसार उपरोक्त छूट शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों से संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले को भी उपरोक्तानुसार मान्य किया जाएगा।

(2) **अन्य छूट :- प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूटे:-**

1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

2 विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 भूतपूर्व सैनिकों को अनुज्ञेय आयु सीमा में छूट:- भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गयी सेवा के आधार पर अधिकतम 3 वर्षों की छूट होगी जो की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी।

स्पष्टीकरण -

(1) भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में अद्यतन संशोधन द्वारा यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(2) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को जो सैनिक सेवा में है उन्हें भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं दिया जाएगा । भूतपूर्व सैनिक को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व सेना से

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

डिस्चार्ज होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1,2,3) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों / योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

5 समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे।

नोट :-

(01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 बिन्दु 1 तथा 2 मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी (केवल उन प्रवर्गों को छोड़कर जिनमें उपरोक्त बिन्दु (1) में 45 वर्ष से अधिक छूट प्रदान की गयी है) । अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं है! (केवल उन प्रवर्गों को छोड़कर जिनमें उपरोक्त बिन्दु (1) में 45 वर्ष से अधिक छूट प्रदान की गयी है)

(03) <u>अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नही की जाएगी तथा उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रहेगी।</u>

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट संबंधी व्यवस्था

मध्य प्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 22.09.2017 द्वारा आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप मे किया है तथा जिन्होंने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है, को अतिथि विद्वान के रूप मे किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्रति अकादमिक सत्र एक वर्ष के मान से निर्धारित आयु सीमा में निम्नानुसार अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाय :-

1.	पुरुष अनारक्षित वर्ग के लिए	40+5 = 45 वर्ष
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/नि:शक्तजन)	45+5 = 50 वर्ष
मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग परिपत्र क्रमांक 969/एफ 1-9/2016/38-1, दिनांक 08.08.2016 के अनुसार उपरोक्त छूट शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों से संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले को भी उपरोकतानुसार मान्य किया जाएगा।		

अतिथि विद्वान प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक प्राप्त करेंगें। **वरीयता अंक अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे।**

(1) उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों से संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को निम्नानुसार वरीयता अंक तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी :_

वरीयता अंक :-

1	एक शैक्षणिक सत्र में 151 या 151 से अधिक कालखंडों पर	04 अंक
2	एक शैक्षणिक सत्र में 101 या 150 तक के मध्य कालखंडों पर	03 अंक
3	एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 तक के कालखंडों पर	02 अंक
4	एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कालखंडों पर	01 अंक
वरीयता अंक का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्वानों तथा मध्य प्रदेश के बाहर से आए अतिथि विद्वानों के लिए भी मान्य होगी।		

आयु सीमा में छूट :-

	एक शैक्षणिक सत्र में अनुभव के चार अंक प्राप्त होने पर	01 वर्ष
टीप:-	1. आवेदक सम्पूर्ण अतिथि अध्यापन अवधि में कार्य अनुभव के आधार पर प्रति सत्र अधिकतम 04 वरीयता अंक अधिकतम 20 अंक एवं प्रति सत्र 04 अंक प्राप्त करने पर ही एक वर्ष की छूट अधिकतम 5 वर्ष की छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगें जो **म.प्र. मध्य प्रदेश शासन** , उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-12/2017/38-1, दिनांक 14.08.2017 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।	
	2. आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अतिथि विद्वानों को देय होगी तथा मध्य प्रदेश के बाहर से आए अतिथि विद्वानों के लिए यह मान्य नही होगी तथा उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रहेगी !	

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

(2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप मे किया है वे इस परिशिष्ट-2 से संलग्न <u>प्रपत्र -एक</u> में संबंधित महाविद्यालय/ महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगें।

(3) उक्त प्रमाण-पत्र/ प्रमाण-पत्रों के आधार पर इस परिशिष्ट-2 से संलग्न **प्रपत्र -दो (गणना-पत्रक)** की अध्यापन अनुभव के आधार पर पूर्ति करेंगें तथा तत्पश्चात उक्त गणना पत्रक को प्रमाणीकरण हेतु अग्रणी महाविद्यालय में प्राधिकृत जांचकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें।

(4) अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना-पत्रक के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा-स्थान किया जाएगा जिससे उसे 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अध्यधीन अधिकतम आयु सीमा में गणना-पत्रक में अभिप्रमाणित छूट प्राप्त हो सकेगी।

(5) जिन अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत विभाग द्वारा स्वीकृत विषयों में अतिथि विद्वानों के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी उपरोकतानुसार वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।

(6) मध्य प्रदेश के राज्य पोषित विश्वविद्यालयों की अध्ययन शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध पारदर्शी निर्धारित चयन प्रक्रिया से नियुक्त कार्यरत विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों के अतिथि विद्वानों हेतु प्रमाणीकरण की व्यवस्था उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अभिनिर्धारित रीति से की जाएगी।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

प्रपत्र- एक

कार्यालय, प्राचार्य, ... (शासकीय महाविद्यालय का नाम)

शासकीय महाविद्यालय का पता, दूरभाष एवं ई-मेल: ....

....

अनुभव प्रमाण-पत्र

(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सहायक-प्राध्यापक सीधी भर्ती के सन्दर्भ में मान्य)

(अतिथि विद्वान के रूप में शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने हेतु)

क्रमांक: ....   स्थान: ...., दिनांक: ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... (अतिथि विद्वान का नाम) आत्मज/आत्मजा श्री .... ने इस महाविद्यालय के .... विभाग में अतिथि विद्वान के रूप में निम्नानुसार सत्रों में शैक्षणिक कार्य संपन्न किया :

क्रमांक	शैक्षणिक सत्र	कुल कालखंडो की संख्या	रिमार्क

टीप: यह अनुभव प्रमाण-पत्र महाविद्यालयीन लेखा एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जारी किया गया है|

स्थान: ....

(हस्ताक्षर)

प्राचार्य का नाम ....

प्राचार्य की पद मुद्रा

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

प्रपत्र-2

अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक

(अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालयों में कार्य अनुभव के अधिभार की गणना बाबत)

विषय:	

आवेदक का पूरा नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने पर, अनुभव के आधार पर वरीयता अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जावेगें। अधिभार की गणना हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए शैक्षणिक-कार्य अथवा लाइब्रेरियन/स्पोर्ट्स-ऑफिसर के रूप में कार्य करने पर निम्न तालिकानुसार अनुभव के अंक प्रदान किये जावेगें:

1. एक शैक्षणिक सत्र में 151 से अधिक कालखण्डों पर : 04 अंक
2. एक शैक्षणिक सत्र में 101 से 150 के मध्य कालखण्डों पर : 03 अंक
3. एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 के मध्य कालखण्डों पर : 02 अंक
4. एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कालखण्डों पर : 01 अंक
5. लाइब्रेरियन/स्पोर्ट्स-ऑफिसर के लिए कालखण्डों के स्थान पर कार्यदिवस की संख्या प्रतिस्थापित करें।

अधिभार की गणना की तालिका

शैक्षणिक सत्र (अधिकतम पांच)	क्रमांक	महाविद्यालय/यों का/के नाम	महाविद्यालयवार कालखण्डों/ कार्यदिवस की संख्या	सत्रवार कालखण्डों / कार्यदिवस की कुल संख्या	सत्रवार अनुभव के अंक	सत्रवार अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट	संलग्न प्रमाणपत्र का क्रमांक एवं दिनांक
.... (प्रथम सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (द्वितीय सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (तृतीय सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (चतुर्थ सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (पंचम सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
अनुभव के कुल अंकों का योग (अधिकतम अंक 20)							

अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अभिप्रमाणीकरण के लिए आरक्षित स्थान		
अनुभव के कुल अंक :		
आयु सीमा में छूट :	....	.... (जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम)
प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर:		

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक: ....

टीप-1: आयु सीमा में छूट का लाभ भी उपरोक्त गणना के अनुसार प्रति सत्र अनुभव के लिए 01 वर्ष की दर से अधिकतम पांच वर्ष की छूट का लाभ लिया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त छूट को जोड़ते हुए आवेदक की आयु विज्ञापन में निर्धारित तिथि को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2: जिले के अग्रणी महाविद्यालय से अनुभव के अंक एवं आयु सीमा में छूट का अभिप्रमाणीकरण कराने का दायित्व आवेदक का ही होगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

<u>ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी</u>

1- **सहायक प्राध्यापक** के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगें

1. www.mponline.gov.in
2. www.mppscdemo.in
3. www.mppsc.com
4. www.mppsc.nic.in

3- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र mponline के अधिकृत कियोस्क से आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान करके भर सकते है। इसके अतिरिक्त अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते है।

4- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेखों, नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है। **<u>mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।</u>**

5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **<u>उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी</u>** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- **त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 30.12.2017 से 26.01.2018 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

09- आवेदक यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तजन हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों हेतु
₹ 500/-	₹ 1000/-
सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्त शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार पोर्टल शुल्क देय होगा:- (1) एम.पी. ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से आवेदन भरने हेतु ₹ 150/- (GST सहित) (2) तथा स्वयं आवेदन पत्र भरने पर ₹ 100/- (GST सहित)	

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्न परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा (पोर्टल शुल्क वापस नहीं किया जाएगा):-

01 यदि आयोग द्वारा विज्ञापन निरस्त किया जाये अथवा

02 किसी कारण से परीक्षा अथवा चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाय

नोट : **अभ्यर्थी आवेदन तथा परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के सिवा अन्य किसी भी राशि का भुगतान न करें तथा यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु Mponline से निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-**

हेल्पलाइन :- 0755-4019400

3- **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि <u>24.01.2018</u> है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4- **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य है :-**

<u>आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-</u> केवल हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

<u>शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :-</u> हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदन ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

<u>अनुभव के प्रमाण पत्र :-</u> अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।

<u>नि:शक्तता प्रमाण-पत्र :-</u> नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) नि:शक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। **सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु पद विवरण में दर्शाये अनुसार नि:शक्त श्रेणी हेतु आरक्षण तथा छूटों की पात्रता रहेगी। न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक नि:शक्त अभ्यर्थी ही आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगें।**

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण-पत्र (जो की आवेदन की अंतिम तिथिको छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है| यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयम जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में आवेदक का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। <u>**विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणपत्र भी**</u>

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

<u>आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें।</u>

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे प्रमाण-पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग को देय छूटों हेतु मान्य नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा :-

टीप- अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत आते हो वे ऑनलाइन आवेदन पत्र अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तुत करें।

<u>घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप</u>

मैं -------------------- आयोग के विज्ञापन क्रमांक <u>07/2017 दिनांक 12.12.2017</u> के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मै निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं।

1. मै ---------------पुत्र/पुत्री श्री------------------ निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/-----------जिला ----------,मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मै -------------जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक , भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2013 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मै सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूं।

दिनांक :- -------------

हस्ताक्षर..............................

नाम......................................

पता-----------------------

आवेदन पत्र क्रमांक ------------------

मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के प्रमाण-पत्र तथा गणना पत्रक :- मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों / मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तपोषित राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक संकायों की अध्ययनशालाओं में अतिथि विद्वान के रूप में संपादित कार्यानुभव का **प्रमाण-पत्र** संबन्धित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से परिशिष्ठ -2 में उल्लेखित प्रपत्र-1 में प्राप्त करें तथा कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का **गणना-पत्रक** प्रपत्र -2 में अग्रणी महाविद्यालय से प्राप्त करें। उक्त दोनों प्रपत्रों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ अपलोड **करना** आवश्यक है।

<u>परिशिष्ट</u> -1 **की कंडिका-(2) (1)** के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
<u>परिशिष्ट</u> -1 की कंडिका-(2) (2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

अभिलेखों के स्वप्रमाणन के संदर्भ में अनुदेश :-
ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों की छायाप्रतियों का प्रमाणन राजपत्रित अधिकारी से कराना आवश्यक नहीं है । अभिलेखों की छायाप्रतियों का स्वप्रमाणन आवेदक द्वारा किया जा सकेगा। आवेदक ध्यान रखें कि उनके द्वारा प्रमाणित अभिलेख गलत तथा त्रुटिपूर्ण अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

6- **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

<u>तब आयोग द्वारा :-</u>

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

<u>एवं तब शासन द्वारा :-</u>

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- **अनर्हताये:-** ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

9- **अत्यंत महत्वपूर्ण:-** आवेदक कृपया ध्यान रखें की परीक्षा केंद्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्न मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने तथा उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी।

1 पासपोर्ट	6 शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2 मतदाता पहचान पत्र	7 बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3 ड्रायविंग लायसेंस	8 शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4 पैन कार्ड	9 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र
5 आधार कार्ड	

परीक्षा में सफल आवेदकों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्व[illegible] छायाप्रति

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक के पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को परीक्षा/ साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10- ऑनलाइन परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

01 ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा। आवेदक को उसके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।

02 ऑनलाइन परीक्षा में अभिलेख जांच हेतु, अर्ह अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरांत केवल उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चयनित किया जाएगा जिन्हें अभिलेखों की जांच में अर्ह पाया जाएगा ।

03 साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची साक्षात्कार कार्यक्रम के साथ आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी । साक्षात्कार में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

11- यात्रा व्यय का भुगतान :-

(अ) निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

1. मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।
2. मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40 % या अधिक दृष्टिबाधित नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दृष्टिबाधित नि:शक्तता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code, आधार नंबर का उल्लेख करना तथा तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।

(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2017

परीक्षा योजना

(अ) अंक योजना :-

लिखित परीक्षा कुल 400 अंक, साक्षात्कार कुल 50 अंक, इस प्रकार पूर्णांक कुल 450 अंकों का होगा। परीक्षा ऑनलाईन पद्धति से आयोजित की जावेगी।

लिखित परीक्षा	विवरण	अंक
प्रश्न पत्र	विज्ञापित पद से संबन्धित विषय	
	लिखित परीक्षा के कुल अंक	400
साक्षात्कार		50
	कुल अंक	450

(ब) प्रश्न-पत्र योजना

(1) प्रश्न-पत्र में समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के हांगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प (A,B,C,D) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर (A,B,C,D) में समूहीकृत किया जायेगा। जिसमें से केवल एक ही सही उत्तर होगा।

(2) प्रश्नपत्र, पद से सम्बन्धित विषय का होगा जिसमें 2-2 अंकों के कुल 200 प्रश्न होंगे। इस प्रकार इस प्रश्नपत्र का पूर्णाक 400 होगा।

(3) प्रश्न-पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। किन्तु भाषागत विषयों के प्रश्न-पत्र की रचना केवल संबन्धित भाषा में ही होगी।

(स) लिखित परीक्षा में उत्तीर्णांक :

लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

(द) साक्षात्कार :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(इ) अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक :

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों में संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय के अतिथि विद्वानों के संदर्भ मे राज्य शासन द्वारा अभिनिर्धारित प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित गणना-पत्रक के आधार पर अधिकतम 20 वरीयता अंक दिये जायेंगे। इस संबंध में शासन से प्राप्त निर्देशों का पालन किया जावेगा।

(फ) चयन विधि :

अंतिम चयनफल, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग में अतिथि विद्वानों द्वारा प्राप्त वरीयता अंक को जोडकर कुल प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित किया जायेगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है-:

परीक्षा पूर्व निर्देश

01 परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in अथवा www.mppsc.com में निर्धारित लिंक पर आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाईन प्राप्त कर सकते है। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र क्रमांक गुम गया है तो वे ऑनलाईन रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर, नाम एवं जन्मतिथि डालकर OTP (One Time Password)/ टोल फ्री नम्बर (आयोग द्वारा जारी)/ वेबसाइट पर उपलब्ध know your application number लिंक से प्राप्त कर सकते है।

02 परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गये विकल्प (शहर) के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नम्बर प्रदाय किये जावेंगे ।

03 परीक्षार्थियों हेतु निम्न हेल्प लाईन तथा ई-मेल के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूछताछ की समुचित व्यवस्था की जाएगी:-

हेल्प लाईन नम्बर- 0731-2700406
ई-मेल- mppsconline@gmail.com

04 आयोग की वैबसाईट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई । अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली से अपने आप को प्रशिक्षित कर सकेगा ।

05 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 01:30 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके ।

06 परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लावे तथा अपने हथेलियों पर किसी प्रकार का रंग, स्याही अथवा मेंहदी न लगी हो, क्योंकि इस कारण बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाता है ।

07 दृष्टिबाधित तथा ऐसे निरूशक्तजन जो दोनों हाथों से लिखने में असमर्थ है उन्हें प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनट प्रतिघन्टा अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा तथा सहलेखक के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

- अ उक्त श्रेणी के केवल ऐसे नि:शक्तजन को अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा जो सहलेखक का प्रयोग करेंगें ।
- आ सहलेखक की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं करनी होगी। आयोग द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
- इ सहलेखक की शैक्षणिक अर्हता हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को उसके सहलेखक का मूल फोटो युक्त मान्य परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
  (मान्य परिचय-पत्र सूची हेतु देखें परिशिष्ट-2 बिन्दु -7 (5))
- ई सह लेखक को किसी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा मानदेय का भुगतान आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा।
- उ सहलेखक के प्रयोग की अनुमति केंद्राध्यक्ष द्वारा दी जाएगी इस हेतु अभ्यर्थी पर्याप्त समय पूर्व केंद्राध्यक्ष से संपर्क करें।
- ऊ सहलेखक सुविधा की अनुमति हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा-मण्डल/ सम्भागीय चिकित्सा-मण्डल/ राज्य चिकित्सा-मण्डल द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

08 परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर परीक्षार्थी के मूल फोटो परिचय पत्र, एडमिट कार्ड, एवं फोटो की जांच प्रवेश पत्र एवं परीक्षार्थी के साथ मिलान किया जायेगा । तत्पश्चात बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा न होने पर बायें हाथ का अंगूठा एवं दोनों अंगूठे न होने पर बायें/दाएं हाथ की प्रथम उंगली एवं दोनों हाथ न होने की स्थिति में सहलेखक के अंगूठे का वेरिफिकेशन किया जावेगा ।

09 परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस द्वारा तलाशी (Frisking) की जावेगी । जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुऐं अन्दर न ले जा सके ।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुयें

सामान्यतः ऑनलाइन परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफ़लिंक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग करते है। अतः परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज़ जैसे बालों को बांधने का क्लचर/ बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्में, पर्स/वालेट, टोपी वर्जित है। सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/ कलावा/ रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

10 आयोग द्वारा निम्न फोटो आई-डी कार्ड मान्य किये गये है, इनमें से किसी एक की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक होगा । फोटो आई-डी की फोटोकापी मान्य नहीं की जावेगी।

1. मतदाता परिचय पत्र
2. आधार कार्ड
3. ड्राईविंग लायसेंस
4. पेन कार्ड
5. पासपोर्ट
6. फोटो सहित बैंक पासबुक
7. केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र ।
8. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ।
9. अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो ।

उपरोक्त के अभाव में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

ऑनलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषतायें

11 सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी ।

12 आयोग द्वारा परीक्षार्थी को केन्द्र पर रफ कार्य किये जाने हेतु पेपर एवं पेन की सुविधा प्रदान की जावेगी। रफ कार्य किये जाने हेतु प्रदत्त पेपर परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा कक्ष में छोड़कर जाना होगा ।

13 रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के पश्चात् परीक्षार्थी को रूम नम्बर एवं सीट नम्बर अलाट किये जावेगे।

14 ऑनलाईन परीक्षा हेतु सभी केन्द्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये है जो प्रश्नपत्र को आयोग से सुरक्षितरूप में प्राप्त कर केन्द्रों पर परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करायेंगे।

15 परीक्षार्थी को जो मशीन आवंटित की गई है, उस पर सीट नम्बर, मशीन नम्बर, आई.पी एड्रेस, एवं कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वयं का फोटो है, यह सुनिश्चित कर सीट पर बैठे ।

16 परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र पर अंकित पासवर्ड द्वारा लाग-इन कर सकेंगे ।

17 परीक्षार्थी द्वारा लाग-इन करने के पश्चात् स्क्रीन पर Instruction page, Symbol page display होगा ।

18 परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थी के स्क्रीन पर 05 प्रश्न दिये जावेंगे जो आवेदक द्वारा हल किये जावेगे तत्पश्चात स्क्रीन पर माडल आंसर उपलब्ध होगा जिससे परीक्षार्थी अपने उत्तर चेक कर सकेगा । उक्त प्रक्रिया को परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम 03 बार दोहराया जा सकेगा, जिससे परीक्षार्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसके कम्प्यूटर का माउस उसके द्वारा चाहे गये विकल्प पर ही क्लिक हो रहा है। उक्त प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है तो वह कक्ष में उपस्थित वीक्षक/तकनीकी सहायक को उक्त संबंध में अवगत कराएगे, जिससे वीक्षक द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जा सके ।

19 परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे तथा वीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उसी मशीन पर परीक्षा दे रहा है जो उसे आवंटित की गई है ।

20 प्रत्येक परीक्षार्थी का सत्यापन वेरिफिकेशन शीट के आधार पर बाये/दाये हाथ पर बैठे परीक्षार्थी द्वारा किया जावेगा कि बैठा हुआ परीक्षार्थी उसे आवंटित की गई मशीन पर ही पूरे समय बैठकर परीक्षा दे रहा था ।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,

21 परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार प्रश्नों को हल कर सकेंगे एवं समय संबंधी अलार्म परीक्षा प्रारंभ होने पर, परीक्षा प्रारंभ होने के 01:00 घण्टे पश्चात, 01:30 घण्टे पश्चात परीक्षा समाप्ति के 10:00 मिनट पूर्व तथा अंतिम अलार्म बजेगा परीक्षा समाप्ति पर बजेगा ।

22 परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय में हल किये गये प्रश्नो के उत्तरों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे वह चाहे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में बदल सकेगा ।

23 परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात् भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जायेगी । उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा ।

24 यदि परीक्षार्थी हल किये गये उत्तरों को समय समाप्ति के पूर्व सबमिट नहीं करता है तो मशीन स्वतः ही समय समाप्ति पर उत्तरों को सबमिट कर बन्द हो जावेगी।

<u>परीक्षा पश्चात की कार्य प्रक्रिया</u>

25 अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों का P.D.F. Form में पुनः अवलोकन कर सकेंगें। अवलोकन किये जाने हेतु 05 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जावेगा जिसके अंतर्गत वे हल किये गये उत्तरों में किसी का बदलाव नहीं कर सकेंगे ।

26 मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रवेश पत्र पर अंकित पते से परीक्षा केन्द्र शहर तक का यात्रा भत्ते का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जायेगा;
इस हेतु अभ्यर्थियों को वांछित घोषणा-पत्र तथा निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की फोटो कापी
- यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा का विवरण तथा राशि का स्पष्ट उल्लेख हो जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी जमा करने पर ही प्रदान किया जायेगा ।

27 परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों एवं दिये गये उत्तरों की उत्तरपुस्तिका एवं प्रावधिक उत्तर कुंजी अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई-मेल आई-डी पर भेजी जावेगी ।

28 प्रावधिक उत्तर परीक्षोपरान्त आयोग की वैब साईट पर उपलब्ध रहेंगे ।

29 परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की माडल उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट <u>www.mppsc.nic.in</u> तथा <u>www.mppsc.com</u> पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क तथा पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति मे वापस नहीं किया जाएगा।
प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. ऐसे प्रश्न जिनका मॉडल कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब मॉडल कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा:-
   ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
   ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।
   प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद मे भिन्नता हो
3. विषय विशेषज्ञों द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट <u>www.mppsc.nic.in</u> तथा <u>www.mppsc.com</u> पर प्रकाशित की जाएगी ।
4. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

Signature Not Verified
ARPAN BHARDWAJ,
E=ARPANBHARDWAJ11@GMAIL.COM,